इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2013—फाल्गुन 24, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2013

क्र. एफ-ए-5-04-2011-एक (1).—माननीय श्री न्यायाधिपति गिरिराज दास सक्सेना और माननीय श्री न्यायाधिपति तरुण कुमार कौशल, अतिरिक्त न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 13025-06-2012-यूएस II, दिनांक 26 दिसम्बर 2012 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायीधीश के पद पर की गई है, ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 2 जनवरी, 2013 को पूर्वाह्न में ग्रहण किया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2013

क्र. ई-5-831-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री स्वाती मीणा, आयएएस., कलेक्टर, मण्डला को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2012 से 11 जनवरी 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 31 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव ''कार्मिक''.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2013

क्र. एफ-1(ए) 93-2002-ब-2-दो.—(1) पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के आदेश क्र. 410-2013, दिनांक 11 फरवरी 2013 द्वारा श्रीमती दीपिका सूरी, भा.पु.से., तत्कालीन सेनानी, 25वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल वर्तमान में पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल, भोपाल को दिनांक 19 फरवरी से 8 मार्च 2013 तक अठारह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करने संबंधी आदेश राज्य शासन द्वारा निरस्त किया जाता है.

(2) श्रीमती दीपिका सूरी, भा.पु.से., पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल, भोपाल को दिनांक 19 फरवरी से 8 मार्च 2013 तक अठारह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(3) श्रीमती दीपिका सूरी, भा.पु.से., की अवकाश अवधि में उनके कार्य सम्पादन की व्यवस्था पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा की जायेगी.

(4) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपिका सूरी, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती दीपिका सूरी, भा.पु.से., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपिका सूरी, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहती.

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2013

क्र. एफ-1(ए) 257-88-ब-2-दो.—(1) डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे., अति. पुलिस महानिदेशक/संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल को "हाकी इंडिया, नई दिल्ली" द्वारा मलेशिया (इपोह) में आयोजित "सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेन्ट" में भारतीय टीम के मैनेजर के रूप में भाग लेने हेतु निजी विदेश यात्रा की अनुमति के साथ दिनांक 12 मार्च 2013 से दिनांक 20 मार्च 2013 तक कुल नौ दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India), निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality) स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेगे.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक/संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2013

फा. क्र. 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब-(एक)-644-2013.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब-(1), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गयी थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 108 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"108.	विदिशा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गंजबासौदा.	श्री पी. सी. आर्य, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गंजबासौदा".

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B (One)-644-2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the

following amendment in this Department's Notifieation F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010, whieh was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notifieation in the table, for serial number 108 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Speeial Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"108.	Vidisha	IInd Additional Sessions Judge, Ganjbasoda.	Shri P. C. Arya, IInd Additional Sessions Judge, Ganjbasoda.

फा. क्र. 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब-(एक)-644-2013.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब-(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गयी थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 108 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रिय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
"108.	विदिशा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गंजबासौदा.	गंजबासौदा का विद्युत् क्षेत्र."

टिप्पणी.—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B (1)-644-2013.—In exercise of the powers conferred by sub-seetion (1) of Section 153 of the Eleetricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the eoncurrenee of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in this Department's Notifieation F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010, whieh was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notifieation in the table, for serial number 108 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil Distriet	Name of Special Court	Territorial jurisdietion of Special Court (Aeeording to the Electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
"108.	Vidisha	IInd Additional Sessions Judge, Ganjbasoda.	Eleetrieity Area of Ganjbasoda.".

Note.—The pending cases of the Sepeeial Court shall be stand transferred to the newly eonstituted Court aeeording to their territorial Jurisdication.

फा. क्र. 1(अ)-3-03-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जनवरी 2012 द्वारा उप शासकीय अधिवक्ता के पद पर नियुक्त सर्वश्री वेयंकटेश प्रसाद पाण्डेय एवं जयदीप सिंह, उप शासकीय अधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर के कार्यकाल में, दिनांक 13 जनवरी 2013 से एक वर्ष की अवधि के लिए एतद्द्वारा वृद्धि करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता -01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2013

फा. क्र. 1(सी)-2-2013-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोकायुक्त संगठन की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन के प्रकरणों में मध्यप्रदेश राज्य

के सभी जिलों में पदस्थ डी.डी.पी./डी.पी.ओ./वरिष्ठ ए.डी.पी.ओ. को पदानुसार लोकायुक्त संगठन के प्रकरणों में पैरवी करने हेतु विशेष लोक अभियोजक घोषित करता है.

यह आदेश डी.डी.पी./डी.पी.ओ./वरिष्ठ ए.डी.पी.ओ. पर जिन जिलों में वे पदस्थ हैं, वहां प्रभावी होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वर्मा, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 15/19 फरवरी 2013

क्र. 146-मंडी निर्वा.-2013.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न सारणी के कॉलम क्रमांक (2) में दर्शित बैंक के प्रतिनिधियों को कॉलम क्रमांक (3) में दर्शित कृषि उपज मण्डी समिति, जिला छिन्दवाड़ा के लिये कॉलम क्रमांक (4) में दर्शित प्रतिनिधियों को मण्डी समिति में सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया जाता है:—

सारणी

क्रमांक (1)	बैंक का नाम (2)	मण्डी समिति का नाम (3)	नाम-निर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता (4)
1	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा	कृषि उपज मण्डी समिति, छिन्दवाड़ा	श्री दौलतसिंह ठाकुर, संचालक, मस्जिद के पास सुकलूढाना सिवनी रोड, छिन्दवाड़ा.
2	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा	कृषि उपज मण्डी समिति, अमरवाड़ा	श्री श्रीरामसिंह रघुवंशी, अध्यक्ष, रघुकूल निवास, विवेकानंद कालोनी, छिन्दवाड़ा.
3	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा	कृषि उपज मण्डी समिति, सौंसर	श्री भिमराव राऊत, संचालक, मु.पो. रंगारी, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.
4	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा	कृषि उपज मण्डी समिति, पान्दुर्णा	श्री गंगाराम कडवे, उपाध्यक्ष, मु.पो. सिराठा तहसील पान्दुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा.
5	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा	कृषि उपज मण्डी समिति, चौरई	श्री शैलेन्द्र सिंह पटेल, संचालक, मु. हरदुआमाल, पो. चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 18 जनवरी 2013

प्र. क्र. 1-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन 1अधिनियम, 1894 के संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	सिहोरा	मझगवा प.ह.नं. 46.	1.09	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	सिहोरा-मझगवा-सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 1- अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	सिहोरा	प्रतापपुर प.ह.नं. 36.	1.18	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	सिहोरा-मझगवा-सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	सिहोरा	जोली प.ह.नं. 38	1.65	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	सिहोरा-मझगवा-सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	सिहोरा	आमाडोगरी प.ह.नं. 35.	3.00	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	सिहोरा-मझगवा-सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)

में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	सिहोरा	सरौली प.ह.नं. 47	2.64	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	सिहोरा-मझगवा-सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	सिहोरा	डाबू प.ह.नं. 08.	0.31	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	सिहोरा-मझगवा-सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु निर्माण. टोलप्लाजा

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	सिहोरा	खितौला प.ह.नं. 05.	0.56	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	सिहोरा-मझगवा-सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-2012-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	सिहोरा	गिदुरहा प.ह.नं. 35.	4.07	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.	सिहोरा-मझगवा-सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्र. क-भू.अ.वि.अ.-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	पथरिया	जेरठ	0.01	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतू निर्माण संभाग, सागर.	ग्राम जेरठ में बेबस नदी पर पुल निर्माण हेतु.
		कुल योग .	0.01		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दमोह तथा कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतू निर्माण संभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 18 फरवरी 2013

क्र. भू-अर्जन-12-43.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	शाजापुर	तिलावद गोविन्द	0.17 निजी भूमि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर.	तिलावद गोविन्द तालाब के वेष्ट वेयर में ली गई अतिरिक्त भूमि.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शाजापुर/भू-अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 19 फरवरी 2013

क्र. 1020-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 1-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	रतलाम	दिवेल	3.350	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.	दिवेल तालाब से प्रभावित अवशेष निजी भूमि का, उनके स्वामियों की सहमति पर अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड, रतलाम ग्रामीण के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 20 फरवरी 2013

प्र. क्र. 053-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	हिनौती	निजी भूमि 0.510 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 0.510 है.	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विभाग निगम, सागर.	पन्ना-अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश, सड़क विभाग निगम, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 054-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	पिपरवाह	निजी भूमि 1.320 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.010 है. कुल रकबा 1.330 है.	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विभाग निगम, सागर.	पन्ना-अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश, सड़क विभाग निगम, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 055-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	पतारा	निजी भूमि 1.265 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.455 है. कुल रकबा 1.720 है.	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विभाग निगम, सागर.	पन्ना-अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश, सड़क विभाग निगम, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 056-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	सिरी	निजी भूमि 0.345 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.400 है. कुल रकबा 0.745 है.	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विभाग निगम, सागर.	पन्ना-अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश, सड़क विभाग निगम, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 20 फरवरी 2013

क्र. 1405-10-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनूपपुर	कोतमा	आमाड़ाड	1150	0.154	भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर.	कोयला उत्खनन कार्य हेतु
		कुहका	211	0.462		
		कुहका	508/4	0.202		
		निमहा	219/3/2जु.	0.060		
		निमहा	387/3	0.114		
		निमहा	492/2	0.202		
		निमहा	45/2	0.405		
		निमहा	494/1	0.192		
		निमहा	613/1	0.135		
		निमहा	64/1964/1	0.231		
		निमहा	64/1964/2	0.231		
		निमहा	1138/1979/1	0.025		
		निमहा	1138/1979/2	0.024		
			कुल योग . .	2.437		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, कोतमा, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 24 जनवरी 2013

प्र. क्र. 49-अ-82-2012-13-क्र. 173-भू-अर्जन-नहर-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	खजुरी	9.021	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27, राजपुर जिला-बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की खजुरी वितरण शाखा नहर एवं उप नहर के निर्माण हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27, राजपुर जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 4 फरवरी 2013

प्र. क्र. 58-अ-82-2012-13-क्र. 256-भू-अर्जन-नहर-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबधित व्यक्तियों को इस आश्य की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	बघाड़ी	29.622	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27, राजपुर जिला-बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की बाड़ी वितरण शाखा एवं माईनर-2 शाखा लघु नहर के निर्माण हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27, राजपुर जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 28 फरवरी 2013

प्र. क्र. 60-अ-82-2012-13-क्र. 482-भू-अर्जन-नहर-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबधित व्यक्तियों को इस आश्य की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	अभाली	10.129	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी जिला-बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुआं शाखा नहर एवं उसकी डी-12, डी 10, डी 10एसएम-1, के निर्माण हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 26 फरवरी 2013

क्र. भू-अर्जन 6 (अ-82) 2011-12-570—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	पहरूआ माल प.ह.नं. 05, रा. नि.मं. रयपुरा.	निजी भूमि		कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	मोहरा पहरूआ जलाशय शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.
			173	0.170		
			169	0.070		
			170	0.100		
			178	0.450		
			181	0.020		
			227	0.070		
			174	0.160		
			172/1	1.050		
			221	0.560		
			167	0.080		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			232	0.550		
			248	1.300		
			176	0.210		
			177	0.080		
			179	0.240		
			180	0.200		
			223	0.260		
			230	0.070		
			233	0.090		
			172/2	0.230		
			183	1.000		
			184	0.170		
			311	0.200		
			185	0.090		
			162	1.900		
			186	0.030		
			163	0.040		
			220/1	1.570		
			220/2	1.540		
			222	0.870		
			245	0.640		
			224	0.100		
			228	0.090		
			229	0.250		
			251	0.120		
			236	0.180		
			158	0.370		
			237	0.040		
			238	0.180		
			250	0.560		
			252	0.290		
			125	0.030		
			166	0.160		
			145/348	0.130		
			योग निजी भूमि . .	16.510		
			शासकीय भूमि			
			171, 144, 182, 219, 251, 161, 242, 246, 145/349, 247, 249, 291	6.010		
			महायोग . .	22.520		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन 7 (अ-82) 2011-12-569.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	पहरूआ रै.	**निजी भूमि**		कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	मोहरा पहरूआ जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.
		प.ह.नं. 05	158/1	0.160		
		रा. नि.मं.				
		रयपुरा.	158/2	0.160		
		योग निजी भूमि . .		0.320		
			शासकीय भूमि			
				0.000		
		महायोग . .		0.320		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन 8 (अ-82) 2011-12-568.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	पहरूआ मा.	**निजी भूमि**		कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	मोहरा पहरूआ जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.
		प.ह.नं. 05	248	0.070		
		रा. नि.मं.	251	0.060		
		रयपुरा.	252	0.010		
			253/3	0.160		
			266/1	0.190		
			265	0.130		
			262	0.190		
			98	0.220		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			103	0.070		
			97	0.070		
			94	0.020		
			107	0.110		
			108	0.040		
			109	0.010		
			116	0.030		
			115	0.060		
			114	0.050		
			46	0.030		
			48	0.110		
			47/1	0.060		
			47/2	0.050		
			32/1	0.160		
			32/2	0.230		
			32/3	0.160		
			30	0.200		
			4	0.130		
			29	0.130		
			8	0.020		
			6	0.040		
			7	0.080		
			2/2	0.180		
			26	0.020		
			9	0.010		
			योग निजी भूमि . .	3.100		
			शासकीय भूमि			
			260, 263, 261/101, 100, 99, 95, 93, 92	0.790		
			महायोग . .	3.890		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन 9 (अ-82) 2011-12-567.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	मोहरा कला	**निजी भूमि**		कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	मोहरा पहरूआ जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.
		प.ह.नं. 01	509	0.370		
		रा. नि.मं.	726	0.120		
		रयपुरा.	730/1	0.110		
			727	0.030		
			728	0.150		
			725	0.110		
			730/2	0.020		
			731	0.340		
			732	0.040		
			684	0.390		
			331	0.080		
			733	0.140		
			734	0.130		
			706	0.110		
			717	0.120		
			335	0.130		
			716/2	0.070		
			716/1	0.200		
			715	0.070		
			713	0.070		
			441	0.090		
			685	0.080		
			332	0.080		
			682	0.270		
			672	0.020		
			334/1	0.100		
			334/2	0.090		
			339	0.030		
			340	0.050		
			319	0.060		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			318	0.010		
			313	0.010		
			162	0.030		
			312	0.020		
			308	0.140		
			304	0.050		
			151	0.110		
			306	0.050		
			307	0.070		
			150	0.160		
			190	0.110		
			189	0.270		
			188	0.020		
			202	0.210		
			164	0.190		
			156/1	0.030		
			156/2	0.030		
			396	0.250		
			योग निजी भूमि . .	5.430		
			शासकीय भूमि			
			738, 704, 683, 681, 333, 337, 342, 172, 310, 199, 180, 204, 152, 155, 508	1.250		
			महायोग . .	6.680		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 फरवरी 2013

क्र. 1351-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	परासिया	ग्राम—तीतरा ब. नं. 248 प.ह.नं. 12/12 रा.नि.मं.- परासिया	रकबा 0.057 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, सिवनी, जिला सिवनी (म. प्र.).	तीतरा डुंगरिया डुड्डी मार्ग में घटामाली पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी जिला सिवनी, (म. प्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1352-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	परासिया	ग्राम—डुड्डी ब. नं. 268 प.ह.नं. 17/12 रा.नि.मं.-सिरगोरा.	रकबा 0.125 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित वाली भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, सिवनी, जिला सिवनी (म. प्र.).	तीतरा डुंगरिया डुड्डी मार्ग में घटामाली पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी, जिला सिवनी (म.प्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 फरवरी 2013

क्र. 1546-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति

प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	उमरेठ	ग्राम—उमरेठ ब. नं. 32 प.ह.नं. 05 रा.नि.मं.- उमरेठ.	01.012 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश).	सोनापिपरी-उमरेठ-मुआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक महाप्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1547-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	उमरेठ	ग्राम—छावडीकला ब. नं. 174 प.ह.नं. 22 रा.नि.मं.- उमरेठ.	रकबा-01.560 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश)	सोनापिपरी-उमरेठ-मुआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक महाप्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपेंट कार्पोरेशन लिमिटेड छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1548-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	उमरेठ	ग्राम—छावडीखुर्द ब. नं. 175 प.ह.नं. 21 रा.नि.मं.- उमरेठ.	रकबा-0.590 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश).	सोनापिपरी-उमरेठ-मुआरी-अम्बाडा (एम. डी. आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक महाप्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1549-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम—घोरावाड़ी ब. नं. 75 प.ह.नं. 16/27 रा.नि.मं.- चौरई.	रकबा-17.080 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-5 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1550-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा,

सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम समसवाडा, ब. नं. 266, प.ह.नं. 30, रा.नि.मं.- चौरई.	रकबा-34.520 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर, उपसंभाग क्रमांक-5 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1551-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा,

सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम खमरियाखुर्द, ब. नं. 43, प.ह.नं. 15/27, रा.नि.मं.-चौरई.	रकबा-13.480 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर, उपसंभाग क्रमांक-5 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 27 फरवरी 2013

क्र. 2805-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	सरदारपुर	सरदारपुर	0.124	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, संभाग इन्दौर.	सरदारपुर-भोपावर मार्ग माही नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण में प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदारपुर एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, इन्दौर (म.प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 27 फरवरी 2013

क्र. 509-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	मढ़ा	4.500	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल, नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की मढ़ा माइनर की मढ़ा सब माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 511-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	लोढ़ौटा	0.204	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल, नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की मढ़ा माइनर की मढ़ा सब माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 517-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	रघुनाथपुर	3.010	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल, नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र. 1 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 519-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	बीरपुर	1.70	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल, नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की बीरपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र. 1 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 521-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	नैकिन	0.90	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल, नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की नैकिन माइनर की उपशाखा नहर क्र. 1 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्र. 542-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	शाहपुर	0.080	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	सिरमौर वितरक नहर के शाहपुर माइनर के अन्तर्गत शाहपुर सब-माइनर 0.080 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 544-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	बदरांव गौतमान	0.055	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	सिरमौर वितरक नहर के महरी माइनर नहर 0.055 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 546-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर सतना	पतौडा	0.975	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नगर संभाग रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा नहर की शाखा और उप शाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
			योग : 0.975		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 548-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	अबेर	3.474	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नगर संभाग रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा और उप शाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
			योग : 3.474		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 550-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	कोटर	3.888	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नगर संभाग रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा और उपशाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
			योग : 3.888		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 28 फरवरी 2013

प्र.क्र. 03-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	बिल्हैटी	3.57	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की उप शाखा 3 एल, 1 एल / 3 एल / 4 एल के निर्माण हेतु.
			योग : 3.57		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 04-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	हिमैयापुरा	1.79	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 2 आर मायनर 5 एल, 4 एल एवं 5 एल के निर्माण हेतु.
			योग : 1.79		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 05-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	मानपुरा	0.48	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 5 एल के निर्माण हेतु.
			योग : 0.48		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 06-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	नारायणपुर	0.34	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल के निर्माण हेतु.
			योग : 0.34		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 07-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	सुनारपुरा माफी	0.94	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 4 एल के निर्माण हेतु.
			योग : 0.94		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 08-अ-82-12-13-भू-अर्जन.---चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	ककरारी	0.18	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 5 एल के निर्माण हेतु.
			योग : 0.18		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 09-अ-82-12-13-भू-अर्जन.---चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	सूपाट	0.78	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की मायनर 1 एल सब मायनर 2 एल के निर्माण हेतु.
			योग : 0.78		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 10-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	सिरसौद	4.13	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की मायनर 1 एल के निर्माण हेतु.
			योग : 4.13		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 11-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	खेड़ा	1.2	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल के निर्माण हेतु.
			योग : 1.2		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 12-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	भवनपुरा	3.25	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल के निर्माण हेतु.
			योग : 3.25		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 13-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	दयेली	3.28	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 2 एल एवं 1 एल सब मायनर 2 एल के निर्माण हेतु.
			योग : 3.28		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 14-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	सुपावली	2.9	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 3 एल एवं 2 एल एवं 1 एल सब मायनर 3 एल के निर्माण हेतु.
			योग : 2.9		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 26 फरवरी 2013

प्र. क्र. 3-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	ख. न.	कुल रकबा (एकड़ में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
रायसेन	बरेली	मगरधा बगलबाडा	573	9.66	0.99	कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. संभाग, रायसेन.	मगरधा, बगलबाड़ा मार्ग निर्माण हेतु.
			योग :	9.66	0.99		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, बरेली, जिला रायसेन एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.विभाग, संभाग रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	ख. न.	कुल रकबा (एकड़ में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
रायसेन	बाड़ी	सुल्तान नगर प.ह.न. 37	40 सिंचित	0.32	0.01	कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. संभाग, रायसेन.	नोनभेंट मार्ग निर्माण सुल्तान नगर.
			41 सिंचित	0.16	0.01		
			42 असिंचित	0.15	0.01		
			योग :	0.63	0.03		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, बरेली, जिला रायसेन एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.विभाग, संभाग रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायसेन, दिनांक 1 मार्च 2013

प्र. क्र. 1-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	ख. न.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
रायसेन	बेगमगंज	मरखेड़ा टप्पा	134	0.595	0.021	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, रायसेन.	नहर निर्माण हेतु
	—''—	—''—	484/3, 22	0.283	0.061		—''—
	—''—	—''—	321, 322/1				—''—
	—''—	—''—	321, 322/2	6.878	0.809		—''—
	—''—	—''—	321, 322/3				—''—
	—''—	—''—	154	0.360	0.178		—''—
	—''—	—''—	155/1	0.327	0.130		—''—
	—''—	—''—	155/2				—''—
	—''—	—''—	159	0.401	0.032		—''—
	—''—	—''—	158/1	2.553	0.623		—''—
	—''—	—''—	158/2				—''—
	—''—	—''—	158/3				—''—

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
रायसेन	बेगमगंज	मरखेड़ा टप्पा	158/4				नहर निर्माण हेतु
	—''—	—''—	158/5				—''—
	—''—	—''—	158/6				—''—
	—''—	—''—	178	0.651	0.142		—''—
	—''—	—''—	176	0.105	0.032		—''—
	—''—	—''—	174/1	0.733	0.170		—''—
	—''—	—''—	174/2				—''—
	—''—	—''—	175	0.312	0.032		—''—
	—''—	—''—	177	0.142	0.081		—''—
	—''—	—''—	173/1	0.765	0.121		—''—
	—''—	—''—	173/2				—''—
	—''—	—''—	181/1	0.178	0.032		—''—
	—''—	—''—	181/2				—''—
	—''—	—''—	97/1				—''—
	—''—	—''—	97/2	2.252	0.243		—''—
	—''—	—''—	97/3				—''—
	—''—	—''—	193/1, 194, 196, 198				—''—
	—''—	—''—	193/2, 194, 196, 198	1.665	0.142		—''—
	—''—	—''—	193/3, 194, 196, 198				—''—
	—''—	—''—	220/1	1.138	0.308		—''—
	—''—	—''—	220/2				—''—
	—''—	—''—	219/1				—''—
	—''—	—''—	219/2	2.678	0.101		—''—
	—''—	—''—	219/3				—''—
	—''—	—''—	205/1/1/1				—''—
	—''—	—''—	205/1/1/2				—''—
	—''—	—''—	205/1/2	5.696	0.344		—''—
	—''—	—''—	205/1/3				—''—
	—''—	—''—	205/2				—''—
	—''—	—''—	207, 208	5.135	0.745		—''—
	—''—	—''—	210	0.583	0.162		—''—
	—''—	—''—	211	0.190	0.101		—''—
	—''—	—''—	212	0.421	0.202		—''—
	—''—	—''—	213	0.227	0.089		—''—
	—''—	झिरिया रानी	205	0.271	0.041		—''—
	—''—	—''—	194/4	0.624	0.186		—''—
	—''—	—''—	202/1	0.749	0.162		—''—
	—''—	—''—	202/*2				—''—
	—''—	—''—	201/1	0.182	0.073		—''—
	—''—	—''—	201/2	0.668	0.243		—''—
	—''—	—''—	200	6.568	0.308		—''—

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायसेन	बेगमगंज	झिरिया रानी	195, 196 197, 198	1.991	0.069	नहर निर्माण हेतु
	—''—	—''—	199	0.117	0.032	—''—
			180	4.768	0.478	—''—
	—''—	—''—	178, 179/2 179/3	4.158	0.364	—''— —''—
	—''—	—''—	177/1	0.785	0.154	—''—
	—''—	—''—	95,96,97	3.936	0.526	—''—
	—''—	—''—	98,99/1 98/99/2	2.124	0.405	—''— —''—
	—''—	—''—	106/1 107/1 108/1	3.556	0.162	—''—
	—''—	—''—	106/2 107/2 108/2 109	1.877	0.486	—''—
	—''—	—''—	110,111,112	1.473	0.526	—''—
	—''—	—''—	116,117	0.255	0.194	—''—
	—''—	—''—	56/1 56/2, 56/3	3.439	1.295	—''— —''—
रायसेन	बेगमगंज	झिरिया रानी	26	2.549	0.567	—''—
	—''—	—''—	166/1			—''—
	—''—	—''—	166/2	1.053	0.190	—''—
	—''—	—''—	166/3			—''—
	—''—	—''—	159/1			—''—
	—''—	—''—	160/1			—''—
	—''—	—''—	159/2	1.121	0.041	—''—
	—''—	—''—	160/1/1			—''—
	—''—	—''—	160/2/2			—''—
	—''—	—''—	161	0.346	0.024	—''—
	—''—	—''—	162/1	0.234	0.049	—''—
	—''—	—''—	158/2	0.408	0.113	—''—
	—''—	—''—	158/3			—''—
	—''—	महुआखेड़ा कलॉ	505	2.420	0.344	—''—
	—''—	—''—	335	0.348	0.162	—''—
	—''—	—''—	334	0.534	0.263	—''—
	—''—	—''—	333	0.247	0.146	—''—
	—''—	—''—	332	0.206	0.081	—''—
	—''—	—''—	532/282	5.139	0.567	—''—
	—''—	—''—	285	3.257	0.535	—''—
	—''—	—''—	284	2.699	0.567	—''—
	—''—	—''—	271/1	0.061	0.032	—''—

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
	रायसेन	बेगमगंज	महुआखेड़ा कलॉ				नहर निर्माण हेतु
	—''—	—''—	272/1				—''—
			272/2	2.039	0.454		
	—''—	—''—	272/3				—''—
	—''—	—''—	273	0.142	0.069		—''—
	—''—	—''—	232/1/1				—''—
	—''—	—''—	232/1/2	1.773	0.365		—''—
	—''—	—''—	232/1/3				—''—
	—''—	—''—	232/2				—''—
			231/1				—''—
	—''—	—''—	231/2	2.967	0.024		—''—
			231/3				—''—
	—''—	—''—	227	2.570	0.324		—''—
	—''—	—''—	225/2	1.214	0.024		—''—
	—''—	—''—	224	3.435	0.405		—''—
			223/1/1				—''—
	—''—	—''—	223/2	4.557	0.567		—''—
			223/1/2				—''—
रायसेन	बेगमगंज	—''—	167/1	5.439	0.567		—''—
	—''—	—''—	167/2				—''—
	—''—	—''—	164/1	4.909	0.753		—''—
	—''—	—''—	51/1	0.882	0.186		—''—
			51/2				—''—
	—''—	—''—	45/2/2	1.995	0.567		—''—
	—''—	—''—	39,40,42/1/1	1.213	0.469		—''—
	—''—	—''—	39,40,42/1/2				—''—
	—''—	—''—	38/2/3/1				—''—
	—''—	—''—	38/2/3/2	2.444	0.445		—''—
	—''—	—''—	38/2/2/1				—''—
	—''—	—''—	38/2/2/2				—''—

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
रायसेन	बेगमगंज	महुआखेड़ा कलॉ	181/1	3.298	0.627		नहर निर्माण हेतु
	—''—	—''—	181/2				—''—
	—''—	—''—	163	1.870	0.146		—''—
	—''—	—''—	65	0.902	0.065		—''—
	—''—	—''—	67/1/1/1				—''—
	—''—	—''—	67/1/1/2	3.807	0.182		—''—
	—''—	—''—	67/1/2				—''—
	—''—	—''—	67/2				—''—
	—''—	—''—	64/1	4.261	0.300		—''—
	—''—	—''—	64/2				—''—
	—''—	—''—	4-5/4	2.792	0.546		—''—
	—''—	—''—	3/2	0.425	0.073		—''—
	—''—	—''—	285	3.257	0.081		—''—
	—''—	—''—	286/1				—''—
	—''—	—''—	286/2	3.671	0.186		—''—
	—''—	—''—	286/3				—''—
	—''—	—''—	287/2				—''—
	—''—	—''—	287/3	3.699	0.251		—''—
	—''—	—''—	287/1				—''—
	—''—	—''—	288	4.521	0.202		—''—
	—''—	—''—	265	2.898	0.202		—''—
	—''—	—''—	519/265	0.328	0.057		—''—
	—''—	—''—	531/240	0.526	0.081		—''—
	—''—	—''—	255	1.550	0.061		—''—
	—''—	—''—	254/1	0.732	0.101		—''—
	—''—	—''—	254/2/1				—''—
	—''—	—''—	253/1	0.401	0.113		—''—

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 1 मार्च 2013

क्र. 25-भू-अर्जन-2013-प्र.क्र. 6-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दसौर	सुवासरा	देवरिया विजय	4.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर.	देवरिया विजय तालाब डूब क्षेत्र एवं नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 26-भू-अर्जन-2013-प्र.क्र. 01-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दसौर	शामगढ़	देवरी	3.81	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग मन्दसौर.	देवरी तालाब डूब एवं नहर योजना प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, गरोठ, जिला मंदसौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 मार्च 2013

क्र. 569-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	गुहिया	6.024	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की हिनौता माइनर एवं सब-माइनर की 6.024 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 571-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	हिनौता	5.380	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की हिनौता माइनर एवं सब-माइनर की 5.380 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 573-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	डीही	0.120	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सब-माइनर की 0.120 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 575-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	महरी कोठार	0.287	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सब-माइनर की 0.287 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 577-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	डोल कोठार	0.720	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सब-माइनर की 0.720 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 579-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	मऊ पवाई	1.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सब-माइनर की 1.000 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 581-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	आमा नौढिया	0.080	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सब-माइनर की 0.080 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 583-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पड़री पवाई	1.872	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की टेल माइनर की 1.872 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 585-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	तिलखन	3.480	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की खड़हर माइनर की 3.480 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 587-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	सदहना	5.880	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की सदहना माइनर एवं सिरमौर वितरक की टेल माइनर की 5.880 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 589-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	कोचरी पवाई	3.840	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की टेल माइनर की 3.840 में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 591–भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	हटबा कोठार	5.700	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की हटबा सब माइनर नं. 2 एवं हटबा माइनर का विस्तार की 5.700 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 5 मार्च 2013

क्र. 595–भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	खैरहन	3.960	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की बदरॉव माइनर की 3.960 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 597–भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	बदरॉव-356	2.660	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की बदरॉव माइनर की 2.660 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 599-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	खरौली	0.720	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की सदहना माइनर की 0.720 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 5 मार्च 2013

प्र. क्र. 3-अ-82-2012-13-पीपलखेड़ीकलॉ-162.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गुना	कुंभराज	पीपलखेडी कलॉ	2	0.857	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़, जिला गुना.	भोजपुरा तालाब योजनांतर्गत शेष छूटी हुई भूमियों का अर्जन.
			कुआ-1	0.010		
			कुल . .	0.867		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग राघौगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अधिकारी चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा सकता है.

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथी के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 मार्च 2013

क्र. 1886-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतदद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5-(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रजोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जत की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-मडुआढाना ब.नं. 222, प.ह.नं.-02, रा.नि.मं.-चौरई.	रकबा 96.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधन संभाग क्र.-1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा, (म.प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आ रही निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधन संभाग क्र.-1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-2, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 21 फरवरी 2013

क्र. प्र. भू-अर्जन-1458-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में इसमें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत:

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	बिजौरा	3	2.04	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म. प्र.).	कंजेला जलाशय डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन.
			योग. .	2.04		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—कंजेला जलाशय (ग्राम बिजौरा) के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सागर के कार्यालय, में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 6 मार्च 2013

क्र. क-1852 -भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये नया खेड़ा (गनेशपुरा) जलाशय निर्माण हेतु आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	पटवारी हल्का नंबर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
सागर	बण्डा	नयाखेड़ा	02	23.52	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1, सागर.	नयाखेड़ा (गनेशपुरा) जलाशय योजनान्तर्गत.
सागर	बण्डा	सेसई माफी	02	33.73		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—नयाखेड़ा (गनेशपुरा) जलाशय योजनान्तर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का पूरक नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 01-अ-82-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा

आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम एवं प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल कुल ख. नं.	लगभग क्षेत्रफल कुल रकबा (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	रहली	रहली खास 20	236/1	0.360	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर.	बी.ओ.टी. (एन्यूटी) योजना से मार्ग के रहली वायपास निर्माण हेतु भूमि का भू-अर्जन.
			235/1	0.688		
			235/2	0.170		
			236/2	0.190		
			236/3	0.360		
			234	0.716		
			233	0.709		
			16/2	0.041		
			24/1	0.413		
			148/2	0.243		
			155	0.506		
			26/3	0.830		
			148/3	0.162		
			148/6	0.155		
			148/7	0.155		
			145	0.324		
			146	0.142		
			144/1	0.170		
			163/1	0.364		
			163/3	0.162		
			181/1	0.108		
			181/2	0.036		
			181/3	0.021		
			181/4	0.130		
			181/5	0.057		
			181/6	0.008		
			190	0.170		
			182/1	0.028		
			183	0.010		
			182/2	0.021		
			182/3	0.016		
			182/4	0.016		
			योग.	7.481		

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी, रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-प्र. भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम एवं प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल कुल ख. नं.	लगभग क्षेत्रफल कुल रकबा (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	रहली	खमरिया 21	207/2	0.405	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर.	बी.ओ.टी. (एन्यूटी) योजना से मार्ग के रहली वायपास निर्माण हेतु भूमि का भू-अर्जन.
			206	0.243		
			212/1	0.283		
			212/2	0.951		
			214	0.030		
			213	0.345		
			221	0.142		
			62	0.656		
			61/2	0.183		
			63	0.33		
			63	0.010		
			53/2	0.588		
			54	0.089		
			57/1	0.656		
			56	0.235		
			55	0.041		
			366/1	0.344		
			366/3	0.040		
			368/1	0.183		
			369	0.709		
			561/2	0.121		
			560/2	0.113		
			559	0.061		
			558	0.061		
			557	0.162		
			379/1	0.182		
			379/5	0.507		
			379/6	0.299		
			379/11	0.162		
			379/18	0.303		
			549	0.930		
			546	1.416		
			488/1	0.456		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			488/4	0.313		
			540/1	0.030		
			548/1	0.200		
			548/2	0.215		
			548/3	0.200		
			547	0.728		
			योग . .	12.625		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, अनुविभागीय अधिकारी, रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-प्र.भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम एवं प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	रहली	पटना ककरी 20.	118/1	0.140	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर.	बी.ओ.टी. (एन्यूटी) योजना से मार्ग के रहली बायपास निर्माण हेतु भूमि का भू-अर्जन.
			योग . .	0.140		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, अनुविभागीय अधिकारी, रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-प्र.भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम एवं प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	रहली	सहजपुरी खुर्द 19.	494	0.07	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर.	बी.ओ.टी. (एन्यूटी) योजना से मार्ग के रहली बायपास निर्माण हेतु भूमि का भू-अर्जन.
			500/2	0.18		
			500/3	0.24		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			500/4	0.05		
			516	0.21		
			515	0.09		
			500/1	0.41		
			514	0.10		
				योग . . 1.35		

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. 645-भू-अर्जन-2013-प्र.क्र. 01-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक उपयोग के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दसौर	मन्दसौर	पिथ्याखेड़ी	3.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग मंदसौर.	रलायता तालाब योजना
		पिथ्याखेड़ी जागीर	5.290		
		धारीयाखेड़ी	18.382		
		रलायता	4.270		
		योग . .	31.442		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड मन्दसौर के यहां एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मंदसौर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. 497-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 1-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	कन्नौद	ठिकरिया	115.62	कार्यपालन यंत्री, परियोजना जलसंसाधन संभाग, देवास.	दतुनी बांध परियोजना के अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट:— भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद में देखा जा सकता है.

क्र. 491-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 2-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	कन्नौद	सुकलिया	152.05	कार्यपालन यंत्री, परियोजना जलसंसाधन संभाग, देवास.	दतुनी बांध परियोजना के अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट:— भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. 125-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—कैमपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.08 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
253	0.02
259/1 259/2	0.06
योग . .	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा नहर/रसीदपुर डिस्ट्री उपशाखा एम-4 आर. एवं एम-5 आर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 7 जनवरी 2013

प्र. क्र. 116-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—सांतलपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.970 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
228/मिन-2	0.38	0.06
228/मिन-2	0.26	
229	0.130	0.010
227	0.310	0.010
226	0.310	0.120
238	0.580	0.200
240	1.00	0.010
225	0.220	0.010
224	0.080	0.050
223	0.080	0.010
222	0.220	0.070
221	0.100	0.030
220	0.170	0.020
187	0.490	0.080
169	0.170	0.020
190	0.330	0.010
168	0.240	0.040
167	0.500	0.130
166	0.450	0.070
58	0.720	0.02
	योग :	0.970

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा उदयपुरा नहर/रशीदपुर डिस्ट्री उपशाखा नहर 2 आर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण के कार्यालय में किया जा सकता है.

पृ. क्र. 126-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है; अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—खेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.780 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
460	0.470	0.100
463	0.880	0.250
470	0.670	0.130
471	0.450	0.010
429	3.070	0.210
245	1.620	0.160
233	0.50	0.020
235	1.030	0.200
237	0.240	0.080
240	0.250	0.09
238	0.010	0.01
241	0.230	0.030
239	0.460	0.04
242	0.490	0.04
116	1.050	0.210
95/1	0.41	0.050
95/2क	0.420	0.020
9152 ख	0.420	-
103	1.010	0.070
105	0.290	0.030
106	0.420	0.030
	योग :	1.780

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा उदयपुरा नहर/रशीदपुर डिस्ट्री उपशाखा नहर 2 आर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 23 फरवरी 2013

पृ. क्र. 122-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—खरगूखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.72 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
194	0.13	0.07
165	0.49	0.13
164	0.15	0.01
119	0.43	0.04
152	0.06	0.03
166	0.65	0.13
154	0.81	0.01
151	1.53	0.13
152	0.04	0.10
149	0.84	0.15
144	0.18	0.02
145	0.02	0.02
139	0.17	0.03
138	0.21	0.09
137	1.07	0.06
56	0.37	0.12
57	0.25	0.03
59	0.05	0.02
58	0.67	0.13
61	0.25	0.06
63	0.64	0.15
6	0.77	0.04
4	0.49	0.16
2	0.63	0.06
	योग :	1.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय नहर की रशीदपुर नहर की उपशाखा एम-3 एल 1-एल/3 एल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 7 फरवरी 2013

प्र. क्र. 01-2012-13-अ-82 .—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

(क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—पिछोर
(ग) नगर/ग्राम—मसूदा
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—3.68 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
290	0.07
292	0.22
448	0.29
450	0.05
460	0.02
498	0.01
501	0.27
502	0.40
506	0.14
507	0.36
508	0.27
524	0.23
532	0.55
533	0.02
535	0.40
536	0.23
537	0.10
538	0.01
542/1	0.03
503	0.01
कुल रकबा . .	3.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए विलरुऊ दिनारा पोषक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा/ (प्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील पिछोर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 12 फरवरी 2013

क्र. क-1189-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 13-अ-82-11-12 .—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—शाहगढ़
(ग) ग्राम—डिलौना
(घ) क्षेत्रफल—0.67 हेक्टेयर. (निजी भूमि).

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
17/1	0.14

(1)	(2)
2	0.12
17/2	0.32
17/4	0.03
18/2	0.03
19	0.02
18/1	0.01
कुल रकबा . .	0.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—उजनेठी-पाटन मार्ग निर्माण हेतु ग्राम डिलौना की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स), जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 20 फरवरी 2013

प्र. क्र. 215-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—सिरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.729 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
2903	0.151	निजी भूमि
2905/1	0.141	निजी भूमि
2906	0.200	निजी भूमि
2897	0.180	निजी भूमि
2896	0.050	निजी भूमि
2894	0.165	निजी भूमि
2893	0.207	निजी भूमि
2891	0.150	निजी भूमि
2888/1	0.580	निजी भूमि
2885/1	0.150	निजी भूमि
2884	0.014	निजी भूमि
2758	0.127	निजी भूमि
2759	0.154	निजी भूमि
2745	0.560	निजी भूमि
2746	0.066	निजी भूमि
2740	0.048	निजी भूमि
2741	0.040	निजी भूमि
2743	0.560	निजी भूमि
2722	0.149	निजी भूमि
2879	0.037	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	3.729	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पन्ना अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 216-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—हिनौती
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.280 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1630	0.140	निजी भूमि
1631	0.010	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
1632	0.020	निजी भूमि
1634/2	0.120	निजी भूमि
1633/3	0.010	निजी भूमि
1644/1	0.050	निजी भूमि
1665	0.050	निजी भूमि
1645/1क	0.090	निजी भूमि
1648	0.280	निजी भूमि
1649	0.320	निजी भूमि
1650	0.050	निजी भूमि
1652/1	0.080	निजी भूमि
1666/9	0.020	निजी भूमि
1709	0.020	निजी भूमि
1666/7	0.020	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	1.280	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पन्ना अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 217-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—अमानगंज
- (ग) ग्राम—अमानगंज पतारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—7.456 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
15	0.016	निजी भूमि
36	0.061	निजी भूमि
33	0.229	निजी भूमि
34	0.137	निजी भूमि
35	0.120	निजी भूमि
32	0.128	निजी भूमि
31	0.010	निजी भूमि
39	0.345	निजी भूमि
38	0.038	निजी भूमि
27	0.369	निजी भूमि
49/2	0.060	निजी भूमि
40	0.091	निजी भूमि
48	0.292	निजी भूमि
49/1	0.054	निजी भूमि
59/2क	0.237	निजी भूमि
50/1	0.070	निजी भूमि
59/1	0.010	निजी भूमि
61	0.301	निजी भूमि
62	0.053	निजी भूमि
79/1	0.059	निजी भूमि
79/2	0.295	निजी भूमि
80	0.070	निजी भूमि
83	0.068	निजी भूमि
313/3	0.111	निजी भूमि
314/1	0.416	निजी भूमि
314/2	0.239	निजी भूमि
304	0.009	निजी भूमि
315	0.749	निजी भूमि
321	0.204	निजी भूमि
322	0.434	निजी भूमि
335	0.018	निजी भूमि
323	0.242	निजी भूमि
298	0.085	निजी भूमि
295	0.269	निजी भूमि
353	0.411	निजी भूमि
294	0.248	निजी भूमि
293	0.080	निजी भूमि
447/1	0.230	निजी भूमि
339	0.013	निजी भूमि
444	0.388	निजी भूमि
443/1	0.094	निजी भूमि
445	0.103	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	7.456	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पन्ना अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 218-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—पिपरवाह
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.917 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1331	0.050	निजी भूमि
1388	0.470	निजी भूमि
1389	0.040	निजी भूमि
1387	0.050	निजी भूमि
1277	0.100	निजी भूमि
1386	0.339	निजी भूमि
1385	0.050	निजी भूमि
1384	0.278	निजी भूमि
1383	0.050	निजी भूमि
1382	0.250	निजी भूमि
1381	0.050	निजी भूमि
1378	0.050	निजी भूमि
1370/1क	0.280	निजी भूमि
1370/1ख	0.210	निजी भूमि
1361	0.460	निजी भूमि
1359	0.150	निजी भूमि
1360	0.040	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	2.917	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पन्ना अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 139-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़
(ग) ग्राम—पड़रहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.96 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
882/1 ख	0.16	निजी भूमि
882/1ग	0.80	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	0.96	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरहेपुर तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

श्योपुर, दिनांक 22 फरवरी 2013

प्र. क्र. 01-2012-2013-अ-82 .—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—श्योपुर
(ख) तहसील—विजयपुर
(ग) नगर/ग्राम—बैनीपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.863 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
726	0.052
725	0.083
722	0.094
720	0.052
719	0.041
712 मि. 1	0.073
713	0.042
714	0.052
703	0.052
699	0.094
688	0.083
689	0.041
681	0.084
733	0.010
690	0.010
योग . .	0.863

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बारधा नाला परियोजना की 1 एल-ए, माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, विजयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ज्ञानेश्वर बी. पाटील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 26 फरवरी 2013

क्र. दस-भू-अर्जन-फा-574-प्र. क्र. 8-अ-82-2012-2013-1201.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—गोहपारू

(ग) ग्राम—मलमाथर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.583 हे.

ग्राम—मलमाथर पटवारी हल्का मलमाथर नम्बर 07

730/1	0.745
733/2	2.033
520	0.041
523	0.061
559	0.020
561/2	0.041
561/4	0.041
621/2	0.129
624	0.029
624/2	0.029
625	0.249
624/5	0.029
730/2	0.744
521	0.049
530	0.041
561/1	0.041
561/3	0.041
561/4	0.041
622	0.061
624/1	0.029
624/3	0.029
624/4	0.029
694	0.041
कुल योग . .	4.583

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—गोहपारू

(ग) ग्राम—रतहर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.432 हे.

ग्राम—रतहर पटवारी हल्का मलमाथर नम्बर 07

444	0.584
446	0.652
448	0.328
449/2	0.297
445	0.312
447	0.490
449/1	0.297
450	0.202
कुल योग . .	3.432

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मलमाथर जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि ग्राम मलमाथर की 4.583 हे. एवं ग्राम रतहर की 3.432 हे. का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 19 फरवरी 2013

क्र. 475-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—पड़खुरी पवाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.345 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
14	6.45	0.690	म. प्र. शासन
385	0.57	0.120	
178	0.19	0.120	म. प्र. शासन
176	1.65	0.018	
168	0.10	0.004	
169	0.110	0.055	
175	0.13	0.038	
174	0.12	0.036	
179	0.07	0.055	
170	0.11	0.005	
158	0.07	0.024	
157	0.05	0.050	म. प्र. शासन
154	0.05	0.009	
160	0.06	0.010	मेड़
156	0.07	0.032	
146	0.11	0.037	
144	0.19	0.067	
187	0.10	0.015	
188	0.06	0.020	म. प्र. शासन
189	0.11	0.014	
198	0.30	0.010	
193	0.20	0.036	
196	0.33	0.105	
217	0.04	0.030	
227	2.01	0.150	
241	0.85	0.060	
251	0.11	0.036	
250	0.11	0.030	
252	0.11	0.025	
283	0.95	0.138	
284	1.43	0.108	
289	0.52	0.018	म. प्र. शासन
300	0.06	0.030	म. प्र. शासन
301	0.55	0.105	
303	0.12	0.045	
योग . .	17.316	2.345	
निजी भूमि	9.950	1.417	
शास. भूमि	7.330	0.928	
महायोग	17.280	2.345	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मल्हैयान टोला (पड़खुरी पवाई) सब माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 27 फरवरी 2013

क्र. 513-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया

जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—पड़खुरी पवाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.800 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
452	0.65	0.090	
445/1	0.96	0.097	
451	0.91	0.120	
462	0.56	0.090	
463	0.60	0.048	
464	0.14	0.031	
465	0.04	0.020	
466	0.04	0.018	
467	0.05	0.011	
468	0.04	0.040	
469	0.35	0.040	
471	0.01	0.010	
472	0.01	0.010	
473	0.12	0.001	
474	0.12	0.021	
476	0.61	0.075	
475	0.02	0.020	
477	0.63	0.033	
352	5.32	0.226	
489	1.14	0.009	
492	0.12	0.001	
493	0.98	0.060	
498	0.36	0.027	
500	1.21	0.051	
501	0.30	0.022	
505	0.89	0.276	
506	0.85	0.060	
509	0.71	0.132	
510	0.70	0.078	
808	0.24	0.054	
809	0.29	0.048	
560	0.63	0.012	म. प्र. शासन
814	0.68	0.040	
815	0.60	0.118	
816	0.07	0.018	
817	0.60	0.150	
690	0.68	0.105	
692	0.09	0.090	
694	0.50	0.066	
682	0.23	0.050	
683	0.24	0.126	
679	0.12	0.008	
697	0.61	0.017	
698	0.34	0.095	
791	0.14	0.030	
703	0.27	0.078	
704	0.60	0.120	
735	0.37	0.204	
780	0.07	0.048	
782	0.09	0.025	
783	0.08	0.028	
784	0.14	0.030	
790	0.43	0.036	
734	0.45	0.015	
767	0.09	0.006	
737	0.25	0.072	
733	0.06	0.006	मेड़
732	0.45	0.064	
713	1.53	0.060	
714	0.26	0.024	
731	0.13	0.060	
718	0.47	0.108	
719	0.14	0.018	
योग . .	30.38	3.800	
निजी भूमि . .	29.75	3.788	
शास. भूमि . .	0.63	0.012	
महायोग . .	30.38	3.800	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पड़खुरी पवाई तिवरियान टोला सब माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 515-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—पड़खुरी कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.525 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
594	0.18	0.087	
643/1	0.77	0.003	
595/1	0.08	0.003	
895	0.21	0.002	
651	0.25	0.042	
650	0.24	0.045	
693	0.30	0.039	
694	0.18	0.042	
697	0.10	0.030	
716	0.24	0.018	म. प्र. शासन
830	0.42	0.090	
829	0.35	0.036	
828	0.18	0.035	
827	0.21	0.048	
826	0.14	0.024	
839	0.07	0.016	म. प्र. शासन
840	0.20	0.035	
843	0.81	0.018	म. प्र. शासन
855	0.07	0.030	
848	0.33	0.031	
853	0.25	0.102	
880	0.35	0.047	
881	0.54	0.060	
879	0.06	0.018	
878	0.04	0.015	
872	0.06	0.020	
871	0.04	0.019	
933	0.04	0.001	
938	0.20	0.058	
937	0.18	0.065	
945	0.53	0.037	
926	0.75	0.070	
924	0.21	0.072	म. प्र. शासन
923	0.04	0.036	
949	0.39	0.120	
921	0.06	0.001	
910	0.04	0.001	
909	0.12	0.004	म. प्र. शासन
948	0.84	0.192	
1123	0.12	0.110	म. प्र. शासन
1117	0.20	0.108	म. प्र. शासन
1122	0.14	0.042	
1120	0.09	0.018	
1119	0.15	0.030	
1091	0.09	0.005	
1092	0.04	0.011	
1098	0.09	0.012	
1099	0.07	0.008	म. प्र. शासन
1100	0.07	0.012	
1116	0.10	0.021	
1115	0.11	0.023	
1181	0.35	0.126	
1188	1.00	0.036	म. प्र. शासन
1185	0.12	0.029	
1186	0.12	0.030	
1187	0.12	0.023	
1193	1.37	0.072	
1959	0.05	0.010	
1963	0.24	0.020	
1964	0.26	0.041	
1965	0.15	0.025	
2001	0.26	0.059	
1991	0.30	0.042	
योग . .	15.68	2.525	
निजी भूमि . .	12.84	2.135	
शास. भूमि . .	2.84	0.390	
महायोग . .	15.68	2.525	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पड़खुरी कोठार भमरहा टोला सब माइनर क्र. 3 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 526-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—महाडांडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.390 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
360/2	0.055	0.023
361	0.057	0.024
352	0.275	0.128
351	0.202	0.060
255/3	0.232	0.040
257	2.572	0.304
261	0.526	0.001
262/2क	0.124	0.016
344	0.275	0.091
343	0.393	0.016
342	0.842	0.104
273	0.409	0.108
274	0.251	0.001
268	0.405	0.16
277/1/1	1.319	0.192
277/1/2	0.243	0.056
209/2	0.381	0.194
210	0.324	0.068
211	0.081	0.016
213	0.340	0.088
362	0.219	0.088
181/1/2	0.202	0.136
182/2	0.198	0.052
182/2/2	0.220	0.052
179/2 ख	0.405	0.076
179/2ग	0.269	0.076
203	0.178	0.100
204/1	0.071	0.044
204/2	0.014	0.004
205/1	0.053	0.053
206/1	0.040	0.040
372	0.696	0.200
373	0.890	0.072
374	0.894	0.224
357	0.352	0.068
358	0.295	0.072
375	0.894	0.048
353	1.214	0.073
359	0.308	0.072
160	0.259	0.030
175/2ख	0.259	0.120
	योग . .	3.390

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत महाडांढी शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 28 फरवरी 2013

पत्र क्र.-528-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—गीधा

(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.090 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
84	0.090
योग. .	0.090

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 530-भू-अर्जन-कार्य-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—भगवानपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल 5.177 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(अ) निजी पट्टे की भूमि	
276	0.103
275	0.077
274	0.005
289	0.384
336	0.017
180	0.096
132	0.288
136	0.132
135	0.117
134	0.075
46	0.114
47	0.181
38	1.770
37	0.077
35	0.563
53	0.116
56	0.268
32	0.016
30	0.218
59	0.128
66	0.160
योग. .	4.905
(ब) शासकीय भूमि	
333	0.019
57	0.016
34	0.149
334	0.019
335	0.048
337	0.021
योग. .	0.272
महायोग. .	5.177

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उन पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र.-532-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—सहलोलवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.120 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
312	0.010
344	0.090
350	0.020
योग. .	0.120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर उद्‌वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 534-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—बड़ागांव 325
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.423 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	
	अशासकीय भूमि (हे. में.)	शासकीय भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	
1732	0.017	—
1733	0.026	—
1734	0.073	—
1735	0.022	—
1737	0.044	—
1738	0.130	—
1740	0.045	—
1816	0.008	—
1817	0.067	—
1818	0.022	—
1819	0.054	—
1820	0.005	—
1821	0.120	—
1822	0.002	—
1825	0.134	—
1839	0.025	—
1840	0.064	—
1842	0.060	—
1843	0.032	—
1844	0.019	—
1845	0.006	—
1900	0.028	—
1901	0.089	—
1902	0.041	—
1903	0.037	—
1904	0.051	—
1910	0.048	—
1911	0.048	—
1912	0.035	—
1922	0.008	—
1923	0.178	—
1964	0.029	—
1965	0.083	—
1966	0.035	—
2387	0.004	—
2388	0.060	—
2389	0.038	—
2390	0.006	—
2391	0.032	—
2392	0.096	—
2395	0.008	—
2435	0.002	—
2436	0.078	—
2437	0.002	—
2438	0.012	—
2439	0.010	—
2440	0.040	—
2441	0.012	—
2445	0.008	—
2446	0.032	—
2447	0.025	—
2452	0.040	—
2453	0.020	—
2458	0.016	—
2459	0.089	—
2460	0.016	—

(1)	(2)	
2461	0.115	—
2480	0.005	—
2481	0.052	—
2484	0.058	
2486	0.013	—
2495	—	0.019
3211	0.077	—
3212	0.114	—
3218	0.043	—
3220	0.006	—
3222	0.010	—
3223	0.090	—
3229	0.008	—
3230	0.027	—
507	0.080	—
508	0.078	—
713	0.004	—
715	0.038	—
716	0.021	—
720	0.054	—
722	0.034	—
723	0.064	—
724	0.064	—
727	0.090	—
730	0.080	—
748	0.012	—
749	0.225	—
754	0.013	—
755	0.002	—
756	0.077	—
758	0.083	—
759	0.002	—
795	0.008	—
799	0.082	—
988	0.012	—
989	0.048	—
993	0.077	—
1002	0.009	—
1003	0.043	—
1009	0.051	—
1010	0.013	—
1011	0.057	—
1124	—	—
1125	0.002	—
1126	0.016	—
1127	0.038	—
1132	—	0.032
1137	0.002	—
1138	0.102	—
1139	0.008	—
1140	0.115	—
1150	0.096	—
3442	0.096	—
3443	0.008	—
3444	0.048	—
3453	0.070	—
3454	0.102	—
3458	0.140	—
3459	0.083	—
3473	0.047	—
3741	0.029	—
योग . .	5.372	0.051

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली त्योंथर उद्‌वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड दिनांक 27 फरवरी 2013

क्र. क्यू-कोर्ट-कलेक्टर-राजस्व-भू-अर्जन-01-12-13-537.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भिण्ड

(ख) तहसील—लहार

(ग) ग्राम—कस्बा लहार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.130 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5223	0.090
5224	0.030
5129	0.010
कुल रकबा . .	0.130

(2) कृषि विज्ञान केन्द्र लहार के लिये रास्ता हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लहार के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र, लहार के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 27 फरवरी 2013

प्र. क्र. 1394-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिंगरौली

(ख) तहसील—देवसर

(ग) पटवारी हल्का नं.—कुर्सा 4

(घ) ग्राम का नाम—कुर्सा

(ङ) लगभग क्षेत्रफल—5.95 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
322	0.51
323	0.50
324	0.02
325	1.05
325/2255	0.46
329	0.16
380	0.20
384	0.27
386	0.11
387	0.22
388	1.17
389	0.04
390	0.09
420	0.12
426	0.03
428	0.16
429	0.02
430	0.21
431	0.28
432	0.23
387/2360	0.10
कुल योग. .	5.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—सरौंधा तालाब योजना के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 1396-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिंगरौली

(ख) तहसील—देवसर

(ग) पटवारी हल्का नं.—सरौधा 3

(घ) ग्राम का नाम—सरौधा

(ङ) लगभग क्षेत्रफल—23.50 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
956	0.31
997/1	0.17
957/2	0.16
964	0.20
968	2.66
969	1.01
970	2.10
972	0.02
974/2	0.40
977	0.20
987	0.24
993	0.42
995	0.18
998	0.49
1000	0.58
1001	0.73
1003	0.56
1035	0.38
1044	0.02
1046	1.98
1047	2.02
1049	1.14
1053	1.65
1056	0.36
1057	0.56
1060	0.38
1061	0.63
1063	0.45
1066	1.28
356	0.04
377	0.11
378	0.04
594	0.08
597	0.17
621	0.05
631	0.05
636	0.07
637	0.05
641	0.06
642	0.04
644	0.07
645	0.06
647/1	0.05
676/1	0.10
676/2	0.12
678/1	0.03
678/2	0.03
791	0.15
753	0.10
755	0.12
757	0.23
1079/1215	0.12
1081	0.20
1082	0.08
कुल योग. .	23.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—सरौंधा तालाब योजना के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 फरवरी 2013

क्र. 1611-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—हर्रई

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम बसुरियाखुर्द प. ह. नं. 25, ब. नं. 52 रा. नि. मंडल-हर्राई

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —0.095 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
202/8	0.050
106/3	0.045
योग . .	0.095 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—मुर्गीटोला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1612-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—हर्राई

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम हडाई प. ह. नं. 25, ब. नं. 60 रा. नि. मंडल-हर्राई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —0.312 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
167/2	0.112
149	0.150
143/1	0.050
योग . .	0.312 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—मुर्गीटोला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1613-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम झंझरिया उर्फ खुटिया,
प. ह. नं. 56/37, ब. नं. 207
रा. नि. मंडल-छिंदवाड़ा-1.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —01.050 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
601	0.050
600/1	0.310
552/2	0.110
600/2	0.240
596/1	0.340
योग . .	01.050 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 सिंगना तहसील चौरई जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्र. 1673-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—उमरेठ
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम उमरेठ प. ह. नं. 05, ब. नं. 32
रा. नि. मंडल-उमरेठ

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —0.900 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
644/1	0.900
योग . .	0.900 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—132 के. व्ही. विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन अभियंता, सिविल-पारेषण संभाग म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अतिरिक्त कार्यपालन इंजीनियर, सिविल, म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड मुख्यालय छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1674-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम सारसवाड़ा, प. ह. नं. 21, ब. नं. 553, रा. नि. मंडल-छिन्दवाड़ा-2
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —0.195 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
97	0.195
योग . .	0.195 हे क्टे यर

एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—220 के. व्ही. विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन अभियंता, सिविल-पारेषण संभाग म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अतिरिक्त कार्यपालन इंजीनियर, सिविल, म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड मुख्यालय छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्र.-752-दस-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—पाली
(ग) ग्राम—महरोई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.676

ग्राम-महरोई पटवारी हल्का नम्बर—राजस्व निरीक्षक मण्डल महरोई

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
18	0.014
457/3	0.090
455	0.060
463/2	0.020
466/2	0.065
441/2	0.240
440	0.216
438	0.225
434/2	0.048
434/1	0.048
430	0.048
419	0.060
418	0.096
120/1	0.030
120/2	0.045
120/3	0.060
120/4	0.030
120/5	0.045

(1)	(2)
131	0.030
132/1	0.061
133/1	0.083
133/3	0.083
135/1ख	0.030
135/2/क/1	0.036
135/2/क/2	0.180
135/1/क/1	0.016
158	0.060
167	0.067
173	0.067
218	0.030
219	0.037
220	0.033
206/1	0.016
203	0.090
191	0.125
234/3	0.072
475	0.100
437/1	0.022
420/2	0.090
420/3	0.045
420/4	0.030
420/1	0.086
421/3	0.120
117	0.072
53/1	0.090
87	0.189
85	0.090
93/1	0.033
94/1	0.090
119	0.060
112	0.120
113	0.157
135/1/क/2	0.100
137	0.048
153	0.100
234/2	0.072
146	0.030
63/1	0.090
60/3	0.030
467	0.060
464	0.048
463/1	0.020
37/1	0.090
19/1	0.030
215	0.120
179/2	0.112
221	0.052
179/1	0.060
145	0.170
243	0.048
234/1	0.048
207	0.090
19/2	0.012
116	0.033
139	0.018
150	0.040
476/2	0.720
483	0.350
482	0.090
479	0.025
478	0.040
485/2	0.980
योग . .	7.676

(2) जिसके लिये आवश्यकता है— बसाड डायवर्सन योजना हेतु प्रभावित ग्राम महरोई की निजी भूमि रकवा 7.676 हे. का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय उमरिया/अनुविभागीय अधिकारी, पाली, जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र.-752-दस-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया

(ख) तहसील—पाली

(ग) ग्राम—अमिलिहा

(घ) क्षेत्रफल लगभग —2.542

ग्राम-अमिलिहा पटवारी हल्का नम्बर—राजस्व निरीक्षक मण्डल अमिलिहा

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
458	0.045
459	0.078
460	0.024
364	0.045
367	0.067
368	0.072
369	0.018
376	0.048
374/1	0.018
375	0.030
505	0.060
508	0.020
516	0.060
518	0.060
520	0.070
434/4	0.036
434/5	0.036
564	0.140
565	0.015
572	0.040
365	0.072
262/1	0.045
455	0.023
374/2	0.024
372	0.030
507	0.030
569	0.040
658/1	0.020
347	0.051
315/1	0.020
317	0.020
311	0.040
312	0.012
262/2	0.015
257/1	0.020
257/2	0.060
257/3	0.015
257/4	0.011
205	0.012
310	0.030
349	0.080
434/1	0.090
387	0.015
391	0.140
388/1	0.030
385/1	0.015
348/1	0.060
259	0.045
329	0.035
328	0.020
308	0.080
260	0.080
261	0.040
434/2	0.108
434/3	0.132
योग . .	2.542

(2) जिसके लिये आवश्यकता है— बसाड डायवर्सन योजना हेतु प्रभावित ग्राम अमिलिहा की निजी भूमि रकवा 2.542 हे. का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय उमरिया/अनुविभागीय अधिकारी, पाली, जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 752-दस-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—पाली
(ग) ग्राम—मरवाटोला
(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.687

ग्राम-मरवाटोला पटवारी हल्का नम्बर—राजस्व निरीक्षक मण्डल मरवाटोला

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
68	0.032

(1)	(2)
16	0.067
20	0.048
23	0.024
22/3	0.014
27	0.024
32	0.048
26	0.016
33	0.144
36/1	0.036
36/2	0.024
56/1	0.096
56/2	0.016
14/4	0.042
67/1	0.008
67/2	0.024
67/3	0.024
योग . .	0.687

(2) जिसके लिये आवश्यकता है— बसाड डायवर्सन योजना हेतु प्रभावित ग्राम मरवाटोला की निजी भूमि रकवा 0.687 हे. का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय, उमरिया/ अनुविभागीय अधिकारी, पाली, जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 752-दस-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—पाली
(ग) ग्राम—भिम्माडोंगरी
(घ) क्षेत्रफल लगभग —2.355

ग्राम-भिम्माडोंगरी पटवारी हल्का नम्बर—राजस्व निरीक्षक मण्डल, भिम्माडोंगरी

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
480	0.324
483	0.180
421/531	0.072
484	0.144
421	0.144
417	0.096
415	0.048
410/2	0.048
410/1	0.072
410/4	0.048
404/1	0.015
393/2	0.032
405	0.064
406	0.160
395	0.060
274/1	0.028
380/1	0.064
380/2	0.086
79	0.084
80/499	0.048
42	0.064
41	0.024
40	0.023
39	0.023
440	0.032
416	0.084
404/2	0.032
376	0.020
401	0.032
495	0.048
367	0.048
368	0.080
38	0.023
220/3	0.025
219	0.060
योग . .	2.355

(2) जिसके लिये आवश्यकता है— बसाड डायवर्सन योजना हेतु प्रभावित ग्राम भिम्माडोंगरी की निजी भूमि रकवा 2.355 हे. का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय, उमरिया/ अनुविभागीय अधिकारी, पाली, जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 753-दस-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—पाली
(ग) ग्राम—मालाचुआ
(घ) क्षेत्रफल लगभग —27.751

ग्राम-मालाचुआ पटवारी हल्का नम्बर—राजस्व निरीक्षक मण्डल मालाचुआ

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
588	1.659
582	1.440
589/1	2.494
594/2	0.307
597/1	0.850
589/2	1.011
597/2	0.566
590	0.963
581	1.355
580/1	0.455
580/2	0.525
599/1	0.012
599/2	1.226
579	0.397
605	0.816
601	1.174
610	1.406
598	1.819
595/2	1.473
595/1	1.469
592	0.776
593	0.554
594/1	0.312
609/1	0.898
612/1	0.385
609/2	0.902
580	0.043
623	0.048
625/1	0.096
625/2	0.080
560/1	0.079
627/1	0.098
626/1	0.101
557/2	0.045
553	0.032
519/1ख	0.304
454/2	0.080
455	0.130
450/1	0.092
446	0.031
445	0.043
274	0.123
444/1क	0.021
276	0.064
170	0.154
282	0.054
283/1	0.048
147/1क	0.134
147/1ख	0.168
146	0.076
302/3	0.029
302/2	0.029
301/2	0.029
309	0.109
315	0.102
311	0.067
312	0.092
147/1/क	0.053
283/1	0.017
167	0.131
168/2	0.202
176	0.044
175	0.015
177	0.037
186/2	0.182
189/1	0.080
194	0.109
195	0.034
196	0.158
202/2	0.070
योग . .	27.751

(2) जिसके लिये आवश्यकता है—मालाचुआ जलाशय योजना हेतु प्रभावित ग्राम मालाचुआ की निजी भूमि रकबा 27.751 हे. का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय उमरिया/ अनुविभागीय अधिकारी, पाली जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 753-दस-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—पाली
(ग) ग्राम—आमगार
(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.195

ग्राम-आमगार पटवारी हल्का नम्बर—राजस्व निरीक्षक मण्डल, आमगार

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
237/1	0.147
237/2	0.048
योग . .	0.195

(2) जिसके लिये आवश्यकता है—मालाचुआ जलाशय हेतु प्रभावित ग्राम आमगार की निजी भूमि रकबा 0.195 हे. का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय उमरिया/अनुविभागीय अधिकारी, पाली जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 753-दस-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—पाली
(ग) ग्राम—रौगढ़
(घ) क्षेत्रफल लगभग —2.787

ग्राम-रौगढ़ पटवारी हल्का नम्बर—राजस्व निरीक्षक मण्डल

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
304/1	0.032
311/1	0.129
310/2	0.047
310/3	0.097
308	0.067
305	0.042
304/2	0.032
304/3	0.032
304/4	0.032
338	0.038
339/1	0.512
339/3	0.051
344	0.050
345/2	0.036
382	0.057
385/1	0.160
385/2	0.126
238	0.043
252	0.036
251/1	0.032
253	0.041
254	0.042
229	0.097
225	0.024
216	0.042
212	0.048
207	0.042
115	0.120
116	0.049
117	0.032
177	0.049
176/1	0.021
176/2	0.021
176/3	0.032
171/1	0.123
171/2	0.120
171/3	0.030
159	0.043
157	0.049
156	0.030
155/2	0.081
योग . .	2.787

(2) जिसके लिये आवश्यकता है—मालाचुआ जलाशय योजना हेतु प्रभावित ग्राम रौगढ़ की निजी भूमि रकबा 2.787 हे. का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय उमरिया/ अनुविभागीय अधिकारी, पाली जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 753-दस-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—पाली
(ग) ग्राम—औढ़ेरा
(घ) क्षेत्रफल लगभग —9.852

ग्राम-औढ़ेरा पटवारी हल्का नम्बर—राजस्व निरीक्षक मण्डल, औढ़ेरा

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
343	0.910
353	0.205
352	1.368
351	1.121
345	0.680
346	0.765
347	0.526
355	0.420
350	0.567
349	0.526
357	0.060
361/2	0.078
364	0.045
359/1	0.054
342/1	0.072
342/2	0.072
336	0.093
333/2	0.108
332/4	0.130
331/1	0.095
331/2	0.162
328/2	0.066
324/2	0.166
151/2	0.044
156/2	0.104
160	0.041
163	0.075
162	0.087
168/1	0.087
170/1	0.043
170/3	0.082
170/2क	0.049
173	0.061
103/2	0.130
102/2	0.121
188/4	0.072
188/3	0.081
188/2	0.028
189/4	0.175
189/2क	0.031
189/2ख	0.031
189/3	0.036
190/3	0.039
193	0.104
197	0.042
योग . .	9.852

(2) जिसके लिये आवश्यकता है—मालाचुआ जलाशय योजना हेतु प्रभावित ग्राम औढ़ेरा की निजी भूमि रकबा 9.852 हे. का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय उमरिया/ अनुविभागीय अधिकारी, पाली जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. उपाध्याय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र. 114-भू-अर्जन-12-प्र.क्र. 30-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी
(ग) ग्राम—पिछोड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.316 हेक्टर.

सर्वे नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
102/3	0.316
योग . .	0.316

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—"सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट) से डूब प्रभावित होने से."

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण सरदार सरोवर परियोजना, पुनर्वास संभाग, बड़वानी के कार्यालय में क्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 19 फरवरी 2013

क्र. 392-भू-अर्जन-नहर- प्र.क्र. 04-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—देवला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.176 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/2	0.160
2/3	0.393
4	0.050
6/2	0.321
67/3	0.080
94/5	0.172
योग . .	1.176

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 393-भू-अर्जन-नहर- प्र.क्र. 23-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी

(ग) ग्राम—भटगौला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.128 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
1/113	0.025
1/118/1	0.200
1/118/2	0.550
4	0.350
7/1	0.140
7/2	0.050
7/3	0.080
18	0.600
19/1	0.160
19/2	0.520
19/3	0.160
19/5	0.160
21/1	0.420
21/2	0.850
23	0.110
27/1	0.370
27/2	0.370
27/3	0.025
28/3	0.560
29 40/1/1 40/2/2 43/1/1/3 43/1/1/4 43/2	0.450
41, 41/115/1	0.070
41/116	0.033
53	0.518
55/1/1/1/2	0.080
56/1	0.390
56/2	0.170
57/1	0.050
57/2	0.210
61	0.364
63	0.143
84/1	0.160
84/3	0.090
85/4	0.430
101/2/3 104/2	0.010
101/2/4 104/3	0.120
104/5 105/1	0.140
111/2	0.360
111/5	0.220
111/6	0.200
111/8	0.150
111/9	0.140
111/10	0.120
111/11	0.030
112/18	0.200
112/20क	0.020
112/20ख/1	0.350
112/20ख/2	0.200
112/24ख	0.690
112/26	0.990
119/5	0.330
योग . .	13.128

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शो (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 21 फरवरी 2013

क्र. 419-भू-अर्जन-नहर-13-प्र.क्र. 3-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—ठीकरी

(ग) ग्राम—घटवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.175 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/2	0.740
2/3	0.200
2/4	0.480
55	0.087
56/5	0.202
56/6	0.053
171/3	0.200
171/4	0.157
172	0.024
173/2	0.210
174	0.080
204/1	0.490
204/2	0.562
204/2/2	0.237
207	0.013
293/1	0.184
293/2	0.001
293/4	0.032
293/5	0.186
293/6	0.060
293/7	0.089
294/1	0.554
294/2	0.257
295 | 296	0.057
302	0.001
303	0.119
304/1 | 305 | 307/1 | 308/2	0.167
348/1	0.008
348/3	0.725
योग . .	6.175

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना, कुआं शाखा नहर एवं उसकी वितरण शाखा डी-11 आर. एवं ठीकरी बायीं नहर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 421-भू-अर्जन-नहर- प्र.क्र. 05-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—ठीकरी

(ग) ग्राम—बलगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.968 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
8	0.297
9/1	0.020
9/2	0.050
9/3	0.020
10/1/2 | 11/1 | 12/5 | 48/273/2	0.330
12/2	0.280
12/3	0.210
12/4	0.210
20/271/2/1	0.020
21/4	0.005
22	0.125
23/1	0.490
23/2	0.320
27	0.490
206/1	0.280
214, 215/1	0.180

(1)	(2)
216/5, 231/3ग	0.170
221/1	0.170
224/2/2, 232/1	0.010
229 230 231/2	0.410
231/2क, 235/1	0.110
231/3ख, 235/2	0.190
232/2	0.080
235/3	0.170
235/4	0.260
260/6	0.141
262/2	0.115
262/3	0.020
263/4, 234	0.015
264/1	0.220
264/2	0.380
264/3	0.180
योग . .	5.968

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शो (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 422-भू-अर्जन-नहर-13-प्र. क्र. 24-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—कालापीनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.423 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे.में.) (2)
2/2	0.130
2/3	0.400
2/4	0.125
7	0.180
8/14	0.600
9	0.010
11	0.085
14	0.545
30/1	0.530
63/2	0.234
63/3	0.490
63/5	0.075
63/6	0.555
63/7	0.175
63/8	0.135
63/10	0.135
63/11	0.616
64	0.085
67/3 68/1 69/7	0.160
68/4 69/10	0.650
68/5	0.205
68/6	0.115
68/7	0.195
79/1	0.580
79/2	0.115
82/6	0.430
140/2	0.269
144/1/1/3 ख 161/1/2 ख 152	0.940
144/1/2 144/1/1/3 161/1/1/1/3	0.810
144/1/2 क 144/1/1/3 क 161/1/1/2 क	0.160
146/2, 147	0.250
161/2	0.090

(1)	(2)
165/4	0.050
165/5	0.085
165/6	0.140
165/7	0.115
165/8	0.065
165/9	0.085
165/10	0.130
165/11	0.215
165/12	0.425
167/1/1/2क 168/1	0.070
167/1/1/2 ग 168/2 169	0.404
174	0.130
176/1/2	0.035
177/1	0.015
179	0.110
180/1	0.275
योग . .	12.423

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना, कुआँ शाखा नहर एवं उसकी वितरण शाखा डी-1 एवं डी-1 की एस.एम.-1 नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 26 फरवरी 2013

क्र. 465-भू-अर्जन-नहर-13-प्र. क्र. 27-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—ठीकरी

(ग) ग्राम—ठीकरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.198 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे.में.) (2)
57/1	0.194
57/2	0.170
58/1	0.015
58/2	0.023
75/1	0.003
75/2	0.011
76/1	0.031
77/3	0.007
79/3	0.020
80	0.085
81/1	0.113
81/2	0.194
82/2	0.210
83	0.010
152/2	0.129
167/1	0.128
167/2	0.030
270/1	0.619
270/2	0.206
योग . .	2.198

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना, सेगवाल उप नहर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 464-भू-अर्जन-नहर-13-प्र. क्र. 32-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की

धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—ठीकरी

(ग) ग्राम—टेमला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.137 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे.में.) (2)
8/1/1/1/ ग	0.262
8/1/2, 13/2, 14	1.608
8/4, 10/2, 11	0.173
12, 13/1	0.469
16, 17, 18, 19/1/1/6, 19/1/1/7	0.019
19/1/1/1/1/6	0.097
19/1/1/1/1/8	0.405
19/1/1/5/1	0.505
29	0.057
35/2	0.045
35/5	0.250
35/6	0.165
35/7	0.728
35/12	0.077
38/1	0.393
38/5	0.141
39/1	0.112
39/2	0.129
39/3	0.075
43/3	0.277
61/1	0.362
61/2	0.478
61/3/5, 70/2	0.470
61/4	0.318
61/5	0.606
63/2	0.243
63/3	0.443
66, 67/3	0.007
199	0.031
200/1	0.180
200/2	0.346
200/3	0.304
200/4	0.456
202/1	0.267
202/2	0.266
202/3	0.385
202/4	0.251
202/5	0.239
202/6	0.298
202/7	0.316
203/2/3	0.005
204	0.240
207, 208/1	0.067
208/2, 217/4	0.666
212	0.337
215	0.779
216/1	0.148
217/1, 217/2	0.309
217/3	0.136
217/5	0.281
290	0.192
292/1	0.005
297/2	0.007
297/3	0.075
299/2	0.184
299/4	0.391
316/4/2, 318	1.043
320/2	0.019
योग . .	17.137

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना, कुओं शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी, 28 फरवरी 2013

क्र. 478-भू-अर्जन-नहर-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—खुरमपुरा (शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति)
(घ) अधिग्रहित किये जाने वाले मकानों का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)/संख्या 508.10 वर्ग मी./16 मकान.

खसरा नम्बर	अधिगृहित किया जाने वाले मकान का क्षेत्रफल	मकान मालिक का नाम
(1)	(2)	(3)
105/1/1/1/1/1/1/1/1	93.53	कालु पिता किशन
105/1/1/1/1/1/1/1/1	26.95	ग्यारसीलाल पिता किशन
105/1/1/1/1/1/1/1/1	13.50	राकेश पिता ग्यारसीलाल
105/1/1/1/1/1/1/1/1	27.00	झनुकाबाई बेवा बंसीलाल
105/1/1/1/1/1/1/1/1	20.73	गुलाब पिता हरसिंग
105/1/1/1/1/1/1/1/1	25.48	सुखलाल पिता अनारसिंग
105/1/1/1/1/1/1/1/1	41.48	अनारसिंग पिता हरसिंग
105/1/1/1/1/1/1/1/1	34.77	झुमाबाई पति नरसिंग
105/1/1/1/1/1/1/1/1	26.66	हीरारलाल पिता नरसिंग
105/1/1/1/1/1/1/1/1	26.40	केसरिया पिता हरसिंग
105/1/1/1/1/1/1/1/1	27.88	अरुण पिता केसरिया
105/1/1/1/1/1/1/1/1	21.56	सुखलाल पिता नरसिंग
105/1/1/1/1/1/1/1/1	15.58	दिलीप पिता रेवसिंग
105/1/1/1/1/1/1/1/1	15.60	मांगीलाल पिता नरसिंग
105/1/1/1/1/1/1/1/1	11.16	बिदाबाई पति नरसिंग
105/1/1/1/1/1/1/1/1	79.82	ई.जी.एस.प्राथमिक शाला भवन (तालाब पुरा) संकुल खुरमपुरा वि.खण्ड ठीकरी.
योग.	508.10	वर्गमीटर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये सम्पत्तियों की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.—सम्पत्तियों के विवरण/नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 479-भू-अर्जन-नहर-13-प्र. क्र. 24-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—अंजन्दी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—25.154 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
6/1	0.150
6/3	0.240
6/4	0.230
6/5	0.025
8/1	0.006
8/2	0.014
8/3	0.030
9/1, 10/2	0.095
9/2	0.080
9/3	0.080
9/4	0.095
23/1 24/1	0.070
23/2 24/2 86/1/4	0.010
23/3 24/3	0.080
23/4, 24/4	0.035
25/1	0.060

(1)	(2)
25/2	0.120
25/3	0.150
27	0.015
84/1	0.036
84/3	0.147
85/1	0.340
85/2	0.140
95/1	0.055
99/1	0.350
100/1 101/1/2क	0.170
100/2, 101/1/2	0.750
101/1/1/1/2/1 101/1/1/4/1 101/1/2/1	0.320
101/1/1/1/2/2 101/1/1/4/2 101/1/2/2	0.005
101/1/1/1/3	0.135
101/1/1/1/4	0.150
101/2/1	0.906
101/2/2	0.906
101/2/3	0.370
101/2/4	1.023
102/1	0.065
105/2/2	0.120
105/3	0.264
107/2	0.272
110/4	0.045
110/5	0.420
110/6	0.825
111/1/1	0.360
111/1/2	0.230
111/1/3	0.110
111/1/4	0.070
112/1ख, 113/3/3ख	0.090
112/2, 113/3/2क	0.310
112/4, 113/1/1ख	0.080
113/1/1/2/1	0.050
113/1/1/5	0.080
113/1/1/6	1.100
113/2/1क	0.210
113/2/1ख	0.120
113/2/2	0.275
113/3/1, 113/3/2ख1	0.202
113/3/1, 113/3/2ख2	0.202
113/3/1, 113/3/2ख3	0.202
113/3/1, 113/3/2ख4	0.202
121/1	0.100
121/2	0.454
121/4/1	0.055
121/4/2	0.110
121/4/3	0.140
121/5	0.140
121/6	0.202
121/8	0.081
121/12	0.140
121/13	0.290
121/14	0.100
121/16	0.085
122/11	0.202
122/12	0.080
122/13	0.080
122/14	0.080
122/15, 123/1	0.075
122/16, 123/2	0.235
122/17, 123/3	0.162
122/18	0.100
122/19	0.100
122/20	0.100
122/21	0.100
122/22	0.121
122/23	0.162
122/24	0.060
122/25	0.040
122/26	0.005
141/1, 146/16	0.035
144/2	0.020
146/8	0.010
146/9	0.015
146/10	0.045
146/11	0.121
146/12	0.210
146/13	0.153

(1)	(2)
146/14	0.130
146/15	0.045
146/17	0.110
146/18, 147/5, 148/4, 153/8	0.075
146/19, 153/9	0.200
146/20,153/10	0.300
146/21, 153/11	0.320
146/22, 153/12	0.210
146/23, 153/13	0.210
146/24, 153/14	0.110
152/3	0.831
152/4	0.044
152/5	0.084
152/6	0.043
153/1/2	0.610
153/1/3	0.100
153/2/1	0.165
153/2/2	0.060
153/4/2	0.090
153/4/3	0.050
153/4/4	0.080
154/1/1	0.110
154/2, 171	0.050
154/3	0.147
154/4	0.248
154/5/2	0.020
156/1/1	0.100
156/1/2	0.152
156/1/3	0.527
156/5	0.050
169/1	0.110
173/1	0.010
173/2	0.167
174/1	0.245
174/2	0.290
174/4	0.245
176	0.510
181/1/2	0.466
181/3	0.340
योग. .	25.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की कुआँ शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 480-भू-अर्जन-नहर-13-प्र. क्र. 33-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—ठीकरी

(ग) ग्राम—घट्टी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.529 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
2	0.304
3/2, 3/10, 2/248	0.030
3/3	0.041
3/4	0.040
3/7	0.070
3/8/1, 24/2	0.040
3/8/2, 24/3	0.085
3/8/3, 24/4	0.060
3/8/4, 24/5	0.065
3/9	0.320
3/13	0.080
3/14	0.120
5	0.116

(1)	(2)
11/1	0.305
12/3	0.080
16	0.253
19/1	0.196
20/1	0.032
20/2	0.514
21/6	0.120
21/7	0.189
22/1	0.120
23/1	0.299
24/6	0.040
25/4, 25/5	0.056
26/2	0.320
26/3	0.240
28/3	0.045
34/5	0.089
35	0.142
36/1	0.329
37	0.038
38	0.920
40/1	0.260
40/2	0.355
41/1/2	0.065
41/2	0.010
41/251	0.210
42/4, 44	0.510
43/2	0.041
45	0.033
47/1/1/2	0.540
47/2, 56/3	0.160
47/5/1, 57/1	0.230
47/5/2, 57/2	0.202
47/5/3, 57/3	0.202
47/6, 58/1	0.150
47/7/1, 59/1	0.040
47/7/2, 59/2	0.070
47/8/2, 58/2	0.190
47/9/2, 58/3	0.350
47/17, 50/3	0.160
50/2	0.004
86/2	0.030
86/4	0.170
86/5	0.070
88	0.063
94/2, 94/7, 94/8	0.120
95/2	0.100
95/3	0.125
95/7	0.017
95/8	0.020
135/1/1/2, 135/1/2	0.339
135/3, 135/4, 140/2	0.404
136/1	0.020
136/2	0.067
136/3	0.120
136/4	0.220
141/1/1/1/2	0.160
142/2	0.054
143/2	0.125
244/2/1, 245/1	0.500
244/2/2, 245/2	0.325
योग. .	12.529

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की कुआँ शाखा नहर की वितरण शाखा डी-1 एल एवं डी-1 एल की उपनहर एम-2 आर, एम-3 आर एवं एम-3 आर की एस एम-1 एल एवं एस एम-2 आर नहर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 1 मार्च 2013

क्र. 488-भू-अर्जन-नहर-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—खुरमपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.661 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
95	0.109
105/1/1/1/1/1/3	0.061
105/1/2	0.227
105/4	0.078
105/5,105/6	0.082
109/2	0.039
109/3	0.010
109/5	0.050
121/2	0.044
122	0.154
123	0.222
154	0.050
159/6	0.490
160/4	0.080
162/3	0.200
164/3	0.120
164/4	0.050
165/4	0.630
168/217/1	0.100
189/1	0.220
194	0.270
199	0.580
202/1	0.180
202/2	0.460
203	0.200
204/1	0.670
210	0.285
योग . .	5.661

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना कुआं शाखा नहर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 4 मार्च 2013

प्र.क्र. 1 अ-82-वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-2272-13-.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—आठनेर
(ग) नगर/ग्राम—छिंदवाड़ सवासन
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—60
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—31.932 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
60/1	0.400
60/2	0.400
61/1	0.340
58/1	3.250
43/3	0.040

(1)	(2)
37/1	3.561
86	0.010
37/2	1.574
32	1.470
135/1	5.250
60/3	1.100
60/4	0.753
77	0.450
58/2	2.250
43/4	1.150
39	0.235
80	0.130
31	0.239
40	0.299
29/1	0.800
29/2	0.420
134/1	0.150
62	1.875
63/6	0.110
63/1	0.140
76/1	0.530
135/1	0.050
132	0.030
131	0.050
87	0.020
90	0.025
91	0.025
95	0.015
96	0.015
110	0.021
113	0.015
108	0.049
107	0.015
204	0.250
212/1	0.050
215/1	0.090
215/3	0.121
112/2	0.010
135/2	1.830
81	0.470
63/5	0.050
63/7	0.160
79/1	0.070
79/2	0.080
135/2	0.030
133	0.050
109	0.051
88	0.050
92	0.025
93/1	0.025
213	0.305
97	0.010
112/1	0.010
216/1	0.030
103	0.340
207	0.051
209/1	0.216
212/2	0.096
215/2	0.096
216/2	0.100
112/3	0.010
योग . .	31.932

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है— छिंदवाड़ जलाशय एवं स्पील तथा नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 12 अ-82-वर्ष 2011-2012-भू-अर्जन-2271.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—आठनेर

(ग) नगर/ग्राम—बाकुड़

(घ) पटवारी हल्का नम्बर—50

(ङ) लगभग क्षेत्रफल—1.586 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
277/1	0.370
277/5	0.072
277/4	0.130
28/1	0.350
153	0.060
279/1	0.370
279/5	0.054
29/1	0.180
योग . .	1.586

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बाकुड़ जलाशय के डूब क्षेत्र से पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैंसदही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

न्यायालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्र. 670-रीडर-1-2013-राजस्व प्रकरण क्र. 1-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ

(ख) तहसील—झाबुआ

(ग) ग्राम—मोजीपाडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.960 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
35	0.960
योग . .	0.960

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ग्राम बिलीडोज अन्तर्गत बायपास निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.

झाबुआ, दिनांक 6 मार्च 2013

क्र. 812-रीडर-1-2013-राजस्व प्र. क्र. 02-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता

है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—झाबुआ
(ग) ग्राम—बन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.67 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
645	0.03
652	0.07
653	0.04
654	0.10
681/1	0.02
745	0.24
681/2	0.03
747/1	0.05
747/2	0.09
योग . .	0.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है— ग्राम बन अन्तर्गत टोल प्लाजा निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.

क्र. 814-रीडर-1-2013-राजस्व प्ररकण क्र. 3-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—झाबुआ
(ग) ग्राम—बिलीडोज
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.330 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
213	0.050
231	0.090
232	0.570
233	0.090
237/1	0.450
237/2	0.040
238	0.030
256	0.040
257	0.040
259	0.430
264	0.060
265	0.090
269	0.240
303	0.110
योग . .	2.330

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है— ग्राम बिलीडोज अन्तर्गत बायपास निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 4 फरवरी 2013

क्र. 237-भू-अर्जन-नहर-2013-प्र. क्र. 17-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—बड़सलाय
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.227 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
1/4, 6	0.401
2	0.430
18/4	0.033
18/5	0.218
18/6/1	0.079
18/9क	0.053
18/9ख	0.045
19 21/1 21/2	0.454
21/3 21/4 21/5 23/2 23/4 24/2	0.021
24/1	0.009
25/4	0.025
51/3 63/5 64/2 66/4 67/2	0.280
51/4 65/3/1/3	0.010
51/5 65/2/2	0.320
57/1/2	0.012
61/1	0.184
61/2/1	0.134
61/2/5	0.142
61/5	0.174
61/6	0.035
61/9	0.010
63/3	0.010
63/4	0.194
64/1/3	0.028
65/3/1/1	0.010
65/3/1/2	0.045
87/2/2	0.037
87/2/3	0.085
87/2/4	0.010
88/5	0.009
112/1	0.162
112/2	0.035
113/1	0.055
115/2	0.032
115/3	0.081
115/4	0.314
117/2 117/4 118/1/1/2 118/1/1/4 118/1/1/5	0.013
117/2/1 117/5	0.110

(1)	(2)
118/1/1/7	
118/2/2	0.012
119/5क	
122/1/2	0.036
122/1/3	0.077
122/1/4	0.121
122/1/7	0.010
122/1/8	0.020
122/2/1	0.405
122/2/2	0.267
182/1	0.324
183	
184	0.668
286/2	
186/2	0.275
284/1	
275/2	
275/3	
275/4	0.965
276/2	
277	
278/1	
440/6	
281/10/1	0.049
282/2/1/4	
281/10/2	0.061
282/2/2	
281/10/3, 282/2/3	0.061
282/1/3	0.121
282/1/4/2	0.049
282/1/4/3	0.109
282/2/1/1	0.065
282/2/1/2	0.065
282/5	0.015
282/6	0.223
282/7	0.053
284/2	0.206
285	
303/1	0.115
303/2/1	0.202
315/2/3	0.090
315/2/4	0.010
317/1	0.093
317/2	0.085
317/3	0.105
317/4/1	
317/4/3	0.049
320/3क	0.011
320/3ख	0.002
320/3ग	0.015
320/4	0.258
320/7	0.045
320/8	0.061
320/9	0.061
320/10	0.061
321/1	0.133
328/7	0.041
330/1	0.182
330/2	0.097
330/3	0.121
330/6	0.170
331/1	0.011
331/3	0.085
331/4	0.010
331/5	0.011
331/6	0.010
331/7	0.011
331/8	0.057
331/9	0.050
331/10	0.045
331/11	0.049
331/12	0.032
331/13	0.008
333/2	0.226
334/2	
338/1/1ग	0.010
342/1/2/1	
338/1/1घ	0.010

(1)	(2)
346/2	0.021
346/6	0.018
योग. .	11.227

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की खजूरी वितरण शाखा नहर एवं उपनहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 7 फरवरी 2013

क्र. 267-भू-अर्जन-नहर-प्र. क्र. 25-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अंजड़
(ग) ग्राम—सुराना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.060 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
270/5	0.005
270/6	0.038
270/7	0.076
286/2	0.064
299/2/2/1, 300/2	0.034
299/3/1, 307/7	0.020
301/6, 302/3, 303/2	0.016
301/8, 302/1, 303/1	0.016
340/5, 341/9, 342/3, 343/6	0.021
304/6, 347/3	0.030
304/7, 347/6	0.009
341/1, 342/1, 342/2	0.040
340/4, 341/8, 341/12, 343/7	0.280
353/4	0.106
354/9	0.312
355/1, 356/6	0.012
355/3, 356/4	0.030
363/1	0.085
363/2	0.025
366/2	0.128
366/4, 367/1	0.344
366/5, 367/4	0.010
366/6, 367/5	0.018
366/7, 367/2	0.192
373	0.082
374/1, 375/3	0.010

(1)	(2)
375/2 378/2	0.258
375/4	0.158
375/6	0.040
375/8 378/12	0.032
375/9 378/13	0.022
381/2	0.144
382/4 383/1/2	0.004
383/2	0.160
390/1	0.057
392/3 393/2 394/2	0.142
392/4	0.018
392/5	0.022
योग. .	3.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की बाड़ी वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 19 फरवरी 2013

क्र. 391-भू-अर्जन-नहर-2013-प्र. क्र. 43-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—अंजड़

(ग) ग्राम—साकड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.512 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
2/16/1, 2/31 पैकि	0.057
2/16/2, 2/32 पैकि	0.267
2/24/क, 2 /24/ख, 2/24/ग पैकि	0.259
2/27/क पैकि	0.259
2/27/ख पैकि	0.154
2/30/3 पैकि	0.235
2/33 पैकि	0.061
7/5 पैकि	0.162
9/1, 9/2, 9/3, 9/8, 10/2, 10/4 पैकि	0.534
30/1 पैकि	0.016
30/2 पैकि	0.170
32/1क, 32/2क पैकि	0.004
32/1ख, 32/2ख पैकि	0.154
32/1ग, 32/2ग पैकि	0.170
32/1/3ग पैकि	0.130
32/2/2ग पैकि	0.008
32/1घ, 32/2/2घ पैकि	0.202
32/ङ पैकि	0.065
32/5ङ पैकि	0.077
36/3 पैकि	0.073
38/1 पैकि	0.142
38/2 पैकि	0.202
38/3 पैकि	0.033
39/1 ख पैकि	0.332
40/1/2 पैकि	0.097
40/1/3 पैकि	0.089
40/1/4 पैकि	0.089
40/3/1 पैकि	0.170
40/3/2ग/2ख पैकि	0.130
40/3/3 पैकि	0.130
40/3/8 पैकि	0.041
योग. .	4.512

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा, उसकी माईनर सबमाईनर एवं टेलमाईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 21 फरवरी 2013

क्र. 420-भू-अर्जन-नहर-प्र. क्र. 08-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अंजड़
(ग) ग्राम—पीपल्याड़ेव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.696 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
2/1	0.392
3/1/2 29/9/2	0.254
3/2	0.006
17/1	0.034
17/4	0.040
24/1	0.124
24/2	0.115
24/3	0.088
24/4	0.154
25	0.051
26/1	0.080
26/2/4	0.097
26/2/3	0.098
26/2/2	0.078
26/2/1	0.044
29/7 37/1ग 91/4	0.386
29/8	0.180
37/1क	0.010
55	0.210
68/1/2 68/2	1.215
113/4ख	0.010
115/1	0.310
116	0.110
120/1/3 123/2/2	0.170
125	0.140
127/3	0.093
128/1	0.089
128/2/1	0.057
129/1 130/2	0.043
129/3	0.018
योग. .	4.696

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 26 फरवरी 2013

क्र. 463-भू-अर्जन-नहर-प्र. क्र. 06-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित

किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अंजड़
(ग) ग्राम—हरणगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.336 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
14/1	0.010
14/2	0.018
17/2/7	0.022
17/2/8	0.044
19/2, 22/2	0.016
14/4	0.058
100/1	0.020
83/4, 86/1	0.002
83/5, 86/4	0.007
86/2	0.008
86/3	0.070
89/2	0.070
90/8, 90/13, 91/3	0.115
95/11क, 96/1	0.010
96/2	0.006
95/11ख, 96/6	0.009
96/3	0.013
96/5/2, 97/5, 98/2	0.005
96/5/3, 97/4, 98/4	0.013
96/5/4, 97/5, 98/5	0.040
95/11ग, 96/7	0.006
99	0.103
112/3, 114, 117/2	0.020
160/2	0.004
161/3	0.024
163/2	0.016
163/5	0.026
164/3, 156/1, 157/4, 164/2	0.010
165/1	0.099
180/9	0.010
186/2	0.012
180/10	0.016
181/2	0.016
181/3	0.016
181/5	0.016
197/9	0.010
197/10	0.006
197/11	0.036
198/4	0.010
199/1	0.018
204/4	0.028
205/4	0.220
206/1	0.018
207/3	0.024
208/1	0.002
208/2	0.014
योग. .	1.336

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा/बांड़ी वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्र. 477-भू-अर्जन-नहर-2013-प्र. क्र. 44-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—अंजड़

(ग) ग्राम—झोलपीपरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.382 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
40/1 पैकि	0.073
40/2 पैकि	0.056
40/3, 60/13 पैकि	0.073
40/4 पैकि	0.069
40/5 पैकि	0.052
41, 60/9, 60/10 पैकि	0.384
42, 60/8 पैकि	0.032
55/1, 55/2, 56, 57/5 पैकि	0.263
57/6, 57/8, 58 पैकि	0.020
59/4 पैकि	0.032
60/14 पैकि	0.328
	योग. . 1.382

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की तलुन वितरण शाखा की झोलपीपरी माईनर की सब माईनर एवं टेलमाईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 1 मार्च 2013

क्र. 487-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 22-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—अंजड़

(ग) ग्राम—बंजारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.090 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
83/1 84/2 84/4	0.090
	योग. . 0.090

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की बंजारी वितरण शाखा नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 2 मार्च 2013

क्र. भू-अर्जन-01-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मण्डला

(ख) तहसील—बिछिया

(ग) ग्राम—पीपरी रै. प. ह. नं. 43 एवं पीपरीमाल प. ह. नं. 38.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.96 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)
ग्राम-पीपरी रै.	
145/1	0.17
145/2	0.16
146/1	0.14
146/2	0.17
146/3	0.16
146/4	0.12
147/1	0.42
147/2	0.42
149/1	0.54
149/2	0.53
150/1	0.61
150/2	0.11
156/1	0.15
156/2	0.15
308/1	0.60
308/2	0.48
308/3	0.45
309	0.90
311	3.07
156/1 156/2 156/3 156/4 156/5	0.10
157	0.11
159	0.24
160/1 160/2 160/3 160/4 160/5	0.29
272	0.08
273/1 273/2 273/3 273/4	0.11
274	0.06
275	0.18
267/1 267/2 267/3 267/4 267/5	0.17
योग. .	10.69
ग्राम-पीपरी माल	
245/1	0.22
245/2	0.07
245/3	0.07
245/4	0.07
246	0.79
247	0.92
250	0.90
263	0.20
264	0.21
266	0.21
344/1	0.10
344/2	0.10
344/3	0.10
244	0.28
239/1 239/2 239/3 239/4	0.52
238	0.13
236	0.26
237	0.12
योग. .	5.27
महायोग. .	15.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पीपरी जलाशय के अंतर्गत बांध वेस्टवियर व नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वाति मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्र. 552-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) नगर/ग्राम—देवरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.416 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
958/3	0.206
958/4	0.210
योग. .	0.416

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योंटी मुख्य नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 4 मार्च 2013

क्र. 559-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—तेंदुन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.012 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
167	0.012
योग. .	0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 561-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—हटवा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.114 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
596	0.045
598	0.069
योग. .	0.114

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना अन्तर्गत क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 563-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—पाली अमरीश सिंह
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.068 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
306	0.068
योग. .	0.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 565-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—पाली कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.002 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
110	0.002
योग. .	0.002

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 567-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—बैकुन्ठपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.048 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
449	0.044
450	0.004
योग. .	0.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 मार्च 2013

क्र. 1887-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि

की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बाम्हनवाडा
प.ह.नं.-12, ब. नं.-202, रा. नि. मंडल-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने—10.063 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित वाला प्रस्तावित- क्षेत्रफल पर आने वाली क्षेत्रफल संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
385/8, 454/12	0.150
385/7, 454/11	0.125
385/6, 454/6	0.079
385/5, 454/5	0.751
449/1	0.033
450/1	0.043
451/1, 452/1	0.227
453/1	0.424
449/2	0.033
450/2	0.042
451/3, 452/3	0.227
449/3	0.032
450/3	0.043
451/2, 452/2	0.227
453/7	0.425
385/9, 454/13	0.300
449/4	0.032
450/4	0.042
451/4, 452/4	0.227
449/5	0.129
450/5	0.170
453/14	0.121
385/10, 454/10	0.200
453/10	1.700
391/1	0.100
451/5, 452/5	0.909
453/5, 458	0.480
453/6	1.619
453/3	1.173
योग :	10.063

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत स्पिल चैनल के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-2 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. 6-अ-82-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—बक्सवाहा

(ग) नगर/ग्राम—मड़िया खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.216
(1) निजी भूमि-0.216
(2) शास. भूमि-निरंक

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
32/2	0.080
30	0.136
योग. .	0.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बक्सवाहा तालाब की नहर निर्माण हेतु भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. एफ-1-03-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्रमांक 20) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में, इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उपधारा (1), उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य शासन, **नवीन तहसील बड़ौनी, जिला दतिया** सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील दतिया, जिला दतिया की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

(2) इस प्रस्ताव पर "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा और इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित में भेजे जा सकेंगे:—

क्र.	प्रस्तावित तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का प्रकार	सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	बड़ौनी	बड़ौनी	दतिया	वर्तमान तहसील दतिया के रा.नि.मं. बड़ौनी के प.ह. नम्बर 3, 4, 14, 13, 12, 11, 26, 25, 24, 28, 23, 30, 31, 32, 27, 10, 07, 06, 05 रा.नि.मं. बिल्हारीखुर्द के प.ह.नं. 124, 09, 08, 125, 127, 128, 33, 35, 37, 36, 133, 132, 34, 129, 126, 130, 131 इस प्रकार कुल 36 पटवारी हल्कों को अपवर्जित कर प्रस्तावित तहसील बड़ौनी में 36 पटवारी हल्कों के 78 ग्राम शामिल होंगे.	**पूर्व में**—तहसील दतिया. **पश्चिम में**—तहसील नरवर, जिला शिवपुरी. **उत्तर में**—तहसील डबरा, जिला ग्वालियर. **दक्षिण में**—तहसील पिछौर, जिला शिवपुरी.

क्र.	शेष तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का प्रकार	सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
02	दतिया	दतिया	दतिया	वर्तमान तहसील दतिया के रा.नि.मं. उपराय के पटवारी हल्का नंबर 1, 2, 16, 17, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 56 रा.नि.मं. दतिया के पटवारी हल्का नम्बर 57, 58, 59, 63, 64, 65, 55, 66, 67, 70, 71, 53, 54, 50 रा.नि.मं. राजापुर के प.ह.नं. 51, 52, 72, 73, 105, 104, 103, 102, 106, 107, 108, 48, 49 रा.नि.मं. उदगंवा के प.ह.नं. 38 लगायत 47 एवं 109 लगायत 112 तथा रा.नि.मं. बसई के प.ह.नं. 113 लगायत 123 रा.नि.मं. इमलिया के पटवारी हल्का नंबर 60, 61, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 84, 85, 83, 62, 68, 69, 82, 81, 80 रा.नि.मं. उनाव के पटवारी हल्का नम्बर 75, 74, 73, 79, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 78, 99, 77, 100, 101 इस प्रकार 07 राजस्व निरीक्षक मण्डल, 97 पटवारी हल्के होंगे, जिनमें कुल ग्राम 205 होंगे.	**पूर्व में**—तहसील भाण्डेर. **पश्चिम में**—प्रस्तावित तहसील बड़ौनी **उत्तर में**—तहसील सेवढ़ा **दक्षिण में**—उत्तरप्रदेश राज्य की सीमा एवं तहसील पिछौर, जिला शिवपुरी.

प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्र. C-1404-दो-14-1-2012.—(1) कु. सरिता तिवारी, सहायक ग्रेड एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रु. 6500—200—10,500 (पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 9300—34800+ग्रेड पे रु. 4200) में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर की स्थापना पर पदस्थ करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यभार दिनांक 20 फरवरी 2013 तक अनिवार्य रूप से ग्रहण करें.

(2) यदि वे पदोन्नति पर स्थानांतरण के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ यह लगाया जावेगा कि वे पदोन्नति पर स्थानान्तरण के कारण नहीं जाना चाहते हैं. ऐसी स्थिति में पदोन्नति हेतु उनके नाम पर वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर पद रिक्त होने पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावेगा, परन्तु अन्य स्थानों (खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर) पर उनके नाम पर विचार नहीं किया जावेगा.

(3) पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की दशा में आप लिखित में यह सूचित करेंगे कि आप पदोन्नति पर स्थानान्तरण के कारण नहीं जाना चाहते हैं.

जबलपुर, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्र. 269-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री वेद प्रकाश शर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से.

नोट.—श्री वेद प्रकाश शर्मा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर रहते हुए वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल के साथ सम्बद्ध रहेंगे.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्र. C-1808-दो-2-20-2011.—श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2012 तक छः दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666/इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 21 दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. C-1810-दो-2-45-2011.—श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 27 से 29 दिसम्बर 2012 तक तीन दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त, 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. C-1811-दो-3-420-80-भाग दस.—सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2012 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 11 दिवस (ग्यारह दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-897-इक्कीस-ब (एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1. सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र, सागर का नियुक्ति दिनांक.	:	10-09-1979
2. सेवानिवृत्ति दिनांक	:	31-12-2012
3. नियुक्ति दिनांक 10-09-1979 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.	:	7 वर्ष 6 माह
4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	25 वर्ष 9 माह
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से)	:	7×15=105 दिन
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से)	:	26=13×15=195 दिन.
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	300 दिन
8. घटाईये:-सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ	:	120
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता	:	180 दिन

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31-12-2012 को शेष अर्जित अवकाश 11 दिवस).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897-इक्कीस-ब(एक)07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. C-1812-दो-3-420-80-भाग दस.—श्री ऋषभ कुमार जैन, सेवानिवृत्त (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2012 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश 142 दिवस (एक सौ बयालीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-897-इक्कीस-ब(एक) 07 दिनांक 21 जून 2007 एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

गणना-पत्रक

1. श्री ऋषभ कुमार जैन, सेवानिवृत्त (जिला एवं सत्र) प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर का नियुक्ति दिनांक.	:	29-03-1982
2. सेवानिवृत्ति दिनांक	:	31-12-2012
3. नियुक्ति दिनांक 29-03-1982 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.	:	4 वर्ष 11 माह
4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	25 वर्ष 9 माह
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से)	:	4×15=60 दिन
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से)	:	26=13×15=195 दिन.

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	255 दिन
8. घटाईये:-सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ	:	59
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता	:	196 दिन

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31-12-2012 को शेष अर्जित अवकाश 142 दिवस).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897-इक्कीस-ब(एक)07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 19th February 2013

No. 966-CJ-II-779.—WHEREAS a departmental enquiry has been ordered to be initiated against Shri M. S. Rawat, Civil Judge, Class-I, and ACJM, Petlawad, District Jhabua for showing act of grave misconduct.

AND WHEREAS, serious nature of the allegations of misconduct warrants his suspension from service, pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1966, and all other powers enabling the High Court to place a judicial Officer under its control, under suspension, the High Court, hereby, places shri Mahipati Singh Rawat, Civil Judge, Class-I & ACJM, Petlawad, District Jhabua under suspension with immediate effect with the headquarters at Jhabua.

The High Court further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

By order of the High Court,
M. K. MUDGAL, Principal Registrar,
(Inspection & Vigilance)

जबलपुर, दिनांक 8 फरवरी 2013

क्र. C-1302-दो-2-34-2012.—श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 जनवरी से 2 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-1306-दो-3-12-13.—श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 31 जनवरी से 7 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहती.

जबलपुर, दिनांक 14 फरवरी 2013

क्र. C-1462-दो-3-10-2012.—श्री एन. के. जैन, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 जनवरी से 2 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. जैन, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 20 फरवरी 2013

क्र. C-1599-दो-2-34-2012.—श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 12 से 15 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 18 फरवरी, 2013

क्र. सी-1538-तीन-6-4-81 भाग-पांच.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981, (अधिनियम क्रमांक 36, सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी-2591-तीन-6-4-81 भाग-पांच, दिनांक 21 मई 2012 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, अनुक्रमांक (1) तथा उससे संबंधित स्तंभ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें,—

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में	क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री के. के. शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड.	राजस्व जिला भिण्ड	विशेष न्यायालय भिण्ड

Jabalpur, the 18th February, 2013

No. C-1538-III-6-4-81 Pt-V.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (Act No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. D-2591-III-6-4-81 Pt-V dated 21st May 2012 namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1) for the existing entries in Column No. (2), the following entries shall be substituted :—

SCHEDULE

S. No.	Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court	Area for which the appointment made in Special Court	Name of the Special Court established by the State Government
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri K. K. Sharma, Additional Sessions Judge, Bhind.	Revenue District Bhind	Special Court Bhind.

By order of the High Court,
ABHAI KUMAR, Registrar (DE).

जबलपुर, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्र. 215-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं सिविल कोर्ट एक्ट, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 8 की उपधारा (1) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (वर्तमान में पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के पद पर कार्यरत) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्र. 3 (ए)1-2013-इक्कीस-ब(एक), भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2013 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक

सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लेखित हैं, स्तम्भ (2) में उल्लेखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ (5) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ (6) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) का नाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ	न्यायालय में बैठने को स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 कुमारी निर्मला चावड़ा	ब्यौहारी	ब्यौहारी	शहडोल	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.	ब्यौहारी
2 श्री श्रीराम माण्डवे	सिहोरा	सिहोरा	जबलपुर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.	सिहोरा
3 कुमारी सुनीता सिरिल वारलो	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.	बुरहानपुर
4 श्री गोपाल सिंह नेताम	मैहर	मैहर	सतना	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.	मैहर
5 श्रीमती छाया राजेश कुमार कौल	सीहोर	सीहोर	सीहोर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.	सीहोर
6 श्री आनंद कुमार छापरिया	जोबट	जोबट	अलीराजपुर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.	जोबट
7 श्री रवीन्द्र कुमार भद्रसेन	कुक्षी	कुक्षी	धार	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुक्षी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, कुक्षी जिला धार की हैसियत से नियमित न्यायालय में.	कुक्षी

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.